न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, सी.बी.आई. जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : पुरण कुमार शर्मा

विशिष्ट आपराधिक प्रकरण संख्या 2/2018
(एन.सी.वी. नम्बर 2/2018)

भारत संघ जरिये सी.बी.आई.

बनाम

डा. बी.आर.परिहार पुत्र श्री गेनाराम निवासी गॉव पोस्ट बालरवा तहसील ओसिया हालः सीनियर डी.एम.ओ. रेलवे हेल्थ युनिट, हिसार

——— अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत
धारा 7, 13 (2) सपठित धारा 13 (1) (डी)
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988

उपस्थितः

श्री एस.सी.शर्मा, वरिष्ठ लोक अभियोजक वास्ते सी.बी.आई.
श्री निरजंन गौड, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त डा. बी.आर.परिहार

निर्णय

दिनॉक 14.10.2019

1/ पुलिस थाना सी.बी.आई. जोधपुर की ओर से मुलजिम डा. बी.आर.परिहार के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी रवि गुर्जर की शिकायत पर सी.बी. आई. जोधपुर शाखा में एक प्रथम सूचना संख्या आरसी जेडीएच 2017 ए 0001 दिनॉक 14.2.2017 को दर्ज की गई कि डा. बी.आर.परिहार सीनियर डिवीजनल मेडिकल आफिसर, रेलवे अस्पताल जोधपुर के

द्वारा परिवादी से उसको पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि डा. बी.आर.परिहार द्वारा दिनॉक 8.2.2017 से किया जा रहा था, उसमें फिट घोषित करने के एवज में 10,000/— रूपये रिश्वत की मॉग की जा रही हैं । पुलिस अधीक्षक के आदेश पर उक्त शिकायत का सत्यापन राजेन्द्र कुमार निरीक्षक, सीबीआई जोधपुर द्वारा किया गया एवं रिश्वत की मांग सही पाये जाने पर डा. बी.आर.परिहार के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अन्वेषण प्रारम्भ किया गया । अन्वेषण के दौरान दिनॉक 14.2.2017 को सीबीआई टीम द्वारा दो स्वतन्त्र गवाहो की मौजुदगी में प्री ट्रेप मीमो की कार्यवाही की गई । परिवादी रवि गुर्जर द्वारा बतौर रिश्वत दी जाने वाली वाली 8,000/— रूपये की राशि उपलब्ध करवाई गयी । ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी डा. बी. आर.परिहार ने परिवादी रवि गुर्जर से 8,000/— रूपये बतौर रिश्वत मॉगकर स्वीकार किये । रिश्वती राशि रूपये 8,000/— आरोपी डा. बी.आर.परिहार के पेंट जो कि उनके घर के एक कमरे में हैंगर पर टंगी हुई थी, की आगे की तरफ की दायी जेब से बरामद की तथा रिश्वत राशि के नोटो के नम्बरों का मिलान प्री ट्रेप मीमो में दर्ज नम्बरो से किया तो तो पाया कि यह वही नोट हैं । अभियुक्त के दोनो हाथ व पेन्ट के दायी जेब जिससे रिश्वत राशि बरामद हुई, के धोवन प्राप्त किये जिनका सीएफएसएल दिल्ली से परीक्षण करवाया गया तो धोवन में फिनोप्थलिन पाउडर मौजूद होना पाया गया । अभियुक्त की नमूना आवाज प्राप्त की गई, जिसका सत्यापन के दौरान एवं रिश्वत लेनदेन के समय रिकार्ड की गयी वार्ता से मिलान करवाने हेतु सीएफएसएल दिल्ली भिजवाया गया । बाद अन्वेषण अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर अभियुक्त डा. बी.आर.परिहार के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, 13 (2) सपठित धारा 13 (1) (डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में आरोप पत्र पेश किया हैं ।

2/ बहस चार्ज सुनने के पश्चात अभियुक्त डा. बी.आर.परिहार को धारा 7, 13 (2) सपठित धारा 13 (1) (डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत आरोप विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोपो से इन्कार किया और अन्वीक्षा चाही।

3/ अभियोजन की ओर से साक्ष्य में पी.डबल्यु–1 श्याम किशोर, पी.डबल्यु.–2 बी. मजुमदार, पी.डबल्यु.–3 डा. रूचि जैन, पी.डबल्यु.–4 डा. मंगला देवी, पी.डबल्यु.–5 योगेश शर्मा, पी.डबल्यु.–6 डा. के. श्रीधर, पी.डबल्यु.–7 जयप्रकाश, पी.डबल्यु.–8 रवि गुर्जर, पी.डबल्यु.–9 नरेन्द्र कुमार चौहान, पी.डबल्यु.–10 रमेश चन्द्र सोतवाल, पी.डबल्यु.–11 दीपक कुमार तंवर, पी.डबल्यु.–12 राजेन्द्र कुमार तथा पी.डबल्यु.–13 भवरेन्द्र चौधरी के बयान कराये गये तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 से प्रदर्श पी–54 दस्तावेज व 17 आर्टिकल्स प्रदर्शित करवाये गये।

4/ अभियुक्त डा. बी.आर.परिहार के बयान अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. लेखबद्ध लिये गये। जिसमें अभियोजन के गवाहो को गलत होना बताते हुए कथन किया है कि ट्रेप कार्यवाही के दौरान सही तथ्य रिकार्ड पर नही लिये, उसका स्पष्टीकरण सही नही लिया एवं उसके द्वारा एतराज करने के बावजूद दबाव व प्रभाव में लेकर हस्ताक्षर करवाये । प्रतिरक्षा में कोई गवाहन पेश करना नही चाहा तथा प्रदर्श डी–1 प्रदर्शित करवाया हैं ।

5/ बहस उभय पक्षकारान सुनी गई । इस प्रकरण के निस्तारण के लिये न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

1– क्या अभियुक्त डा. बी.आर.परिहार ने दिनॉक 8.2.2017 को सीनियर डिवीजनल मेडिकल आफिसर, रेलवे अस्पताल, जोधपुर के लोक सेवक के पद पर रहते हुए अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर परिवादी रवि गुर्जर से जिसका कि सामयिक चिकित्सीय परीक्षण

रेलवे अस्पताल जोधपुर में चल रहा था, को चिकित्सीय आधार पर आरोग्य घोषित करने के लिये दिनॉक 13.2.2017 को 10,000/– रूपये रिश्वत की मॉग की तथा दिनॉक 14.2.2017 को परिवादी रवि गुर्जर से 8,000/– मॉगकर प्राप्त कर आपराधिक दुराचरण किया ?

2– यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है तो उचित दण्ड क्या हैं ?

6/ उक्त बिन्दु को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर था और विद्वान लोक अभियोजक ने उपरोक्त बिन्दु के समर्थन में तर्क दिया कि मुलजिम ने दिनॉक 8.2.2017 को सीनियर डिवीजनल मेडिकल आफिसर, रेलवे अस्पताल, जोधपुर के लोक सेवक के पद पर रहते हुए अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर परिवादी रवि गुर्जर से जिसका कि पीरियडीकल मेडीकल एग्जामिनेशन रेलवे अस्पताल जोधपुर में चल रहा था, को मेडीकली फिट घोषित करने के लिये दिनॉक 13.2.2017 को 10,000/– रूपये रिश्वत की मॉग की तथा दिनॉक 14.2.2017 को परिवादी रवि गुर्जर से 8,000/– मॉगकर प्राप्त कर आपराधिक दुराचरण किया । अभियोजन साक्ष्य एवं दस्तावेजात से अभियुक्त डा. बी. आर.परिहार द्वारा रिश्वत की मांग किये जाने का सत्यापन करवाये जाने के समय परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य हुई वार्तालाप की अनुलिपि से रिश्वत की मांग किया जाना तथा ट्रेप की कार्यवाही के समय परिवादी एवं अभियुक्त डा. बी.आर.परिहार के मध्य हुई वार्तालाप की अनुलिपि, रीकवरी मीमो से अभियुक्त द्वारा परिवादी से 8,000/– बतौर रिश्वत प्राप्त किया जाना पूर्णतया साबित होना बताया।

अभियोजन पक्ष द्वारा अपने तर्क के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है :–

– उच्चतम न्यायालय क्रिमिनल अपील संख्या 402/2001 कृष्णाराम बनाम राजस्थान राज्य निर्णय दिनॉक 17.3.2009

— उच्चतम न्यायालय धनवन्तरी बलवन्तरी देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य निर्णय दिनॉक 28.9.12.962

— गुजरात उच्च न्यायालय गुजरात राज्य बनाम माधवभाई नरोत्तम निर्णय दिनॉक 12.3.1963

— उच्चतम न्यायालय क्रिमिनल अपील संख्या 18/1955 इन्दु भुषण चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य निर्णय दिनॉक 26.11.1957

इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्ष्य की ओर ध्यान आकर्षित करवाया ।

7/ पी.ड. 1 श्याम किशोर ने कथन किया है कि दिनांक 08.02.2017 को रवि गुर्जर पीएमई काउंटर पर एक मेडिकल मीमो लेकर आया था जो उनके अधिकारी द्वारा जारी किया गया था । मेडिकल मीमो के साथ स्वयं की ओपीडी से पर्ची कटवाकर भी साथ लेकर आया था । रवि गुर्जर जो मेडिकल मीमो लेकर आया था, उसके अनुसार उसने शारीरिक पहचान के चिन्हों को ओपीडी की पर्ची में अंकित किया था। उसके बाद उसने रवि गुर्जर को पेशाब की जांच करवाने की मोहर पर्ची पर लगाई और पर्ची देकर उसे डॉक्टर बी.आर. परिहार के पास भेज दिया। डॉ0 बी आर परिहार के पास भेजने से पूर्व उसने रवि गुर्जर का नाम एक रजिस्टर में नाम लिखा था। रवि गुर्जर द्वारा उसके पास लाया गया मीमो प्रदर्श पी 1 तथा ओपीडी पर्ची प्रदर्श पी 2 है। प्रदर्श पी 2 के ए से बी भाग में किया गया इन्द्राज उसके हस्तलेख में है। प्रदर्श पी 2 पर एक्स स्थान पर मोहर उसने लगाई थी जो मूत्र जांच से सम्बन्धित थी। दिनांक 08.02.2017 को उसके द्वारा रवि गुर्जर के नाम का इन्द्राज जिस रजिस्टर में किया गया था वह आर्टिकल 1 है । आर्टिकल 1 में प्रदर्श पी 3, पेज संख्या 26 कम संख्या 34 पर ए से बी भाग में उसके हस्तलेख में इन्द्राज है। उक्त इन्द्राज के बाद रवि गुर्जर द्वारा लाया मेडिकल मीमो प्रदर्श पी 1

उसने अपने पास रख लिया था। दिनांक 08.02.2017 को रेल्वे कर्मचारियों का पीरियोडिकल मेडिकल एक्सामिनेशन डॉ0 बी आर परिहार द्वारा किया जा रहा था। मूत्र जांच की रिपोर्ट आने के बाद उसके द्वारा शारीरिक आरोग्य प्रमाण पत्र पुस्तिका आर्टिकल 2 में इन्द्राज किया गया था। आर्टिकल 2 में प्रदर्श पी 4, पेज संख्या 385 पर ए से बी भाग तथा सी से डी भाग में अंकित प्रविष्टियां उसकी हस्तलिपि में है । आर्टिकल 2 के पेज संख्या 385 पर ई से एफ भाग में की गई समस्त प्रविष्टियां डॉक्टर बी आर परिहार की हस्तलिपि में है जो उन्होने उसके सामने की थी।

8/ पी.ड. 8 रवि गुर्जर ने कथन किया है कि वह बीए पास हैं । उसने रेल्वे विभाग में 25.07.2013 को ट्रेक मैन के पद पर ज्वाइन किया था । रेल्वे में ज्वाइन करने से पहले उसका मेडिकल रेल्वे अस्पताल अजमेर में हुआ था जिसमें उसे ए–3 कैटेगरी के मापदण्डों के अनुसार फिट घोषित किया गया था । ट्रेक मैन के पद के लिए आवश्यक मापदण्ड बी–1 के अनुसार होते है। ए–3 कैटेगरी, बी–1 कैटेगरी से उपर की कैटेगरी है। क्योंकि उसे रेलवे द्वारा ए–3 कैटेगरी में मेडिकली फिट घोषित किया गया था इसलिए नियमानुसार हर 4 साल के अन्तराल में उसका पिरीयोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होना जरूरी होता है। इसी के तहत दिनांक 07.02.2017 को श्री जयप्रकाश सीनियर सैक्शन इंजिनियर उत्–पश्चिम रेल्वे समदडी बाडमेर ने एक आथोरिटी लेटर प्रदर्श पी 1 जारी कर उसे रेल्वे अस्पताल जोधपुर में जाकर ए–3 कैटेगरी के लिए पिरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के निर्देश दिये थे। उक्त लेटर प्रदर्श पी 1 को लेकर वह दिनांक 08.02.2017 को रेल्वे डिविजनल हॉस्पिटल जोधपुर में पिरियोडिकल एग्जामिनेशन के लिए उपस्थित हुआ था । पिरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान मूत्र की जांच व आंखों की जांच तथा

अन्य जांच की जाती है। उसका पिरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन हाजिर अदालम मुल्जिम बी आर परिहार जो उस समय सीनियर डीएमओ के पद पर तैनात थे, के द्वारा किया जा रहा था । उसके द्वारा उपरोक्त आथोरिटी लेटर सम्बन्धित बाबू को देने पर उस बाबू ने उसे मूत्र जांच हेतु सम्बन्धित विभाग में भेजा । वहां पर मूत्र जांच करने के बाद उसे वापस इस निर्देश के साथ वापस कर दिया कि शाम को 3 बजे आंखों की जांच हेतु आपको अस्पताल में उपस्थित होना है। तद्नुसार वह दिनांक 08.02.2017 को शाम को 3 बजे आंखों की जांच हेतु रेल्वे अस्पताल जोधपुर के डार्क रूम में जहां आंखों की जांच होती है, पहुंचा । उसकी आंखों की जांच डॉ0 बी आर परिहार द्वारा की जानी थी। वह डॉ0 बी आर परिहार से मिला तो उन्होने उसे अगले दिन दिनांक 09.02.2017 को अस्पताल आने को कहा था । तद्नुसार वह दिनांक 09.02.2017 को रेल्वे अस्पताल जोधपुर पहुंचा, किन्तु उसे फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया गया । उसके बाद वह दिनांक 10.02.2017 को रेल्वे अस्पताल जोधपुर गया तथा डॉ0 बी आर परिहार द्वारा उसकी आंखों की जांच कर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। यद्यपि 10.02.2017 को उसकी आंखों की जांच की गई थी एवं उसकी आंखे कमजोर बताई गई थी। वह अगले दिन 11.02.2017 को पुनः रेल्वे अस्पताल जोधपुर गया तथा उसकी आंखों का परीक्षण नहीं किया, क्योंकि दिनांक 12.02.2017 को रविवार होने के कारण छुट्टी का दिन था इसलिए दिनांक 13.02.2017 को वह रेल्वे अस्पताल जोधपुर में डॉ0 बी आर परिहार के पास गया तो उन्होने उससे कहा कि वह रात के 8 बजे उनसे आकर घर पर मिले। डॉ0 बी आर परिहार के कहे अनुसार वह रात 8 बजे उनके घर जो बंगला नम्बर डी–31 डीआरएम ऑफिस रोड पर स्थित है, पर पहुंचा तथा डॉ0 बी आर परिहार से मिला। डॉ0 बी आर परिहार ने उसे बताया कि उसके

पास मेडिकल फिट होने के दो तरीके है, पहला– वह अपने जान–पहचान के किन्ही दो सरकारी डॉक्टरों से अपनी आंखों की सही मेडिकल रिपोर्ट बनवाकर ले आउ या दूसरा– वह 10,000/– रूपये बतौर रिश्वत उन्हें दे तो वे उसे मेडिकल फिट दे देंगे तथा उसे अगले दिन दिनांक 14.02.2017 को बुलाया। क्योंकि उसके पास जान पहचान का कोई भी सरकारी डॉक्टर नहीं था तो वह अपनी आंखों का फिटनेस सर्टिफिकेट दो सरकारी डॉक्टरों से नहीं बनवा पाया तथा क्योंकि वह 10,000/– रूपये रिश्वत भी देना नहीं चाहता था इसलिए उसने डॉक्टर बी आर परिहार द्वारा 10,000/– रूपये रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दिनांक 14.02.2017 को सीबीआई ऑफिस में की जो प्रदर्श पी 30 है। प्रदर्श पी 30 पर ए से बी भाग में उसके हस्ताक्षर है।

9/ उसकी उपरोक्त शिकायत को सत्यापन हेतु निरीक्षक राजेन्द्र कुमार को दी गई । श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा उपरोक्त शिकायत को पढा तथा शिकायत के सत्यापन हेतु स्वतंत्र गवाह के रूप में रमेशचन्द्र सोतवाल जो कि मुख्य डाकघर जोधपुर में कार्यरत थे, को बुलाया । श्री राजेन्द्र कुमार निरीक्षक ने उसका रमेशचन्द्र सोतवाल से परिचय करवाया एवं उसके द्वारा दी गई शिकायत को उनको दिया व उन्होने उसको पढा तथा सीबीआई कार्यवाही सम्मिलित होने के लिए उपरेाक्त शिकायत पर हस्ताक्षर किये। इसके पश्चात् श्री राजेन्द्र कुमार निरीक्षक ने एक डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में एक नया मैमोरी कार्ड डालकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चलाया तथा इस बात की पुष्टि की कि मैमोरी कार्ड खाली है, संतुष्ट होने के पश्चात् उक्त मैमोरी कार्ड में वॉयस रिकॉर्डर की सहायता से स्वतंत्र गवाह रमेशचन्द्र सोतवाल की परिचयात्मक आावज रिकॉर्ड की तथा उक्त वॉयस रिकॉर्डर उसे सुपुर्द कर दिया । इसके बाद वे सभी रेल्वे अस्पताल जोधपुर शाम करीब 4.

45 पर पहुंचे। निरीक्षक राजेन्द्र कुमार व स्वतंत्र गवाह रमेशचन्द्र सोतवाल रेल्वे अस्पताल जोधपुर के बाहर ही खडे रह गये तथा वह डॉ0 बी आर परिहार से मिलने के लिए उनके चैम्बर के बाहर इंतजार करने लगा किन्तु करीब 6 बजे तक इंतजार करने के बाद वह डॉ0 बी आर परिहार से नहीं मिल सका तो वह उनके चैम्बर के बाहर से उठकर सीबीआई टीम के पास आ गया तथा निरीक्षक राजेन्द्र कुमार को इस सम्बन्ध में बताया तो उन्होने कहा कि आप पुनः डॉ0 बी आर से परिहार से मिलने की कोशिश करो तो वह करीब 6.15 बजे पुनः अस्पताल के अन्दर गया । निरीक्षक राजेन्द्र कुमार ने उसे पुनः वॉयस रिकॉर्डर चालू करके दे दिया । रेल्वे अस्पताल के अन्दर जाने पर वह डॉ0 बी आर परिहार से मिला तो उन्होने उसे फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में पूछा तथा फिटनेस सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा तो उसने कहा कि वह फिटनेस सर्टिफिकेट ला नहीं पाया है तो उन्होने उससे कहा वे खुद मेडिकल सर्टिफिकेट का इंतजाम अपनी जान पहचान के डॉक्टरों से कर देंगे, जिसके लिए उन्होने उससे 10,000/- रूपये रिश्वत की मांग की, जिसे लेकर उन्होने उसे अपने घर पर रात को 8 बजे बुलाया था। यह बातचीत करने के बाद वह सीबीआई टीम के पास बाहर आ गया, बाहर पहुंचने पर उसके पास मौजुद वॉयस रिकॉर्डर उसने निरीक्षक राजेन्द्र कुमार को दे दिया, जिसे लेने के बाद उन्होने बन्द कर दिया। उपरोक्त वॉयस रिकॉर्डर में दर्ज आवाजों को सीबीआई ऑफिस लालसागर में जाकर सुना गया तथा उनकी अनुलिपि प्रदर्श पी 31 बनाई गई जिसमें उसकी स्वयं की तथा डॉ0 बी आर परिहार की आवाजों की पहचान उसके द्वारा की गई थी। अनुलिपि प्रदर्श पी 31 के प्रत्येक पेज पर ए से बी भाग में उसके हस्ताक्षर है। उपरोक्त कार्यवाही का एक मीमो प्रदर्श पी 32 बनाया गया, जिसके प्रत्येक पेज पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इसके

पश्चात् एक अन्य स्वतंत्र गवाह श्री नरेन्द्र कुमार चौहान जो जीवन बीमा निगम जोधपुर में कार्यरत थे, को भी बुलाया गया । उनके ऑफिस में पहुंचने पर उसका परिचय श्री नरेन्द्र कुमार चौहान व सीबीआई टीम के अन्य सदस्यों से करवाया गया । स्वतंत्र गवाह नरेन्द्र कुमार चौहान को उसके द्वारा दिया गया शिकायत पत्र दिखाया गया जिसको पढकर व समझकर नरेन्द्र कुमार चौहान ने सीबीआई कार्यवाही में सम्मिलित होने बाबत् हस्ताक्षर किये । उसके बाद उसने निरीक्षक राजेन्द्र कुमार द्वारा मांगे जाने पर डॉक्टर बी आर परिहार को रिश्वत के रूप मे दिये जाने वाले 8,000/– रूपये जो दो–दो हजार रूपये के 4 नोट थे, दिये, क्योंकि उस वक्त उसके पास 8000/– रूपये ही थे। उन नोटों के नम्बरों को गवाहों द्वारा नोट किया गया। इसके पश्चात् निरीक्षक राजेन्द्र कुमार ने ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाले फिनोप्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट के प्रयोग को दृष्टांत देकर समझाया जिसके लिए पहले एक गिलास में पानी लेकर उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाया गया फिर हाथों पर फिनोप्थलीन पाउडर लगाकर उसमें डुबाया गया, ऐसा करने पर उक्त पानी का रंग गुलाबी हो गया । इस प्रकार दृष्टांत देकर उस पानी को फेंक दिया गया । तत्पश्चात् उसके द्वारा दिये गये उपरोक्त नोटों पर भी फिनोप्थलीन पाउडर लगाया गया, इसके पश्चात् स्वतंत्र गवाहान, उसने व जिन्होने दृष्टांत दिया था, उन्होने साबुन लगाकर हाथ साफ कर लिये। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाह रमेशचन्द्र सोतवाल द्वारा उसकी तलाशी ली गई जिसमें रूमाल और मोबाईल उसके पास छोडा गया । इसके बाद स्वतंत्र गवाह रमेशचन्द्र सोतवाल ने रिश्वत में दी जाने वाली राशि उसकी पहनी हुई जिंस पेन्ट की दाहिनी जेब में रख दी। उन्होने आठ हजार रूपये रखने के बाद अपने हाथ साबुन लगाकर धो लिये। तत्पश्चात् वॉयस रिकॉर्डर में एक नया मैमोरी कार्ड स्वतंत्र

गवाहान की उपस्थिति में डाला गया । उपरोक्त मैमोरी कार्ड को चैक करने के बाद उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान की परिचयात्मक आवाज उक्त मैमोरी कार्ड में दर्ज की गई तथा उसे भी वॉयस रिकॉर्डर चलाने के बारे में समझाया गया । इस कार्यवाही का एक मीमो प्रदर्श पी 33 बनाया गया जिसके प्रत्येक पेज पर ए से बी भाग में उसके हस्ताक्षर है। इसके पश्चात् श्री राजेन्द्र कुमार निरीक्षक के निर्देश पर वह डॉ0 बी आर परिहार के कहे अनुसार रात 8 बजे डीआरएम ऑफिस के सामने स्थित उनके आवास नम्बर डी 31 पर पहुंचा । निरीक्षक राजेन्द्र कुमार द्वारा उसे यह निर्देश दिया गया कि डॉ0 बी आर परिहार के द्वारा मांगे जाने पर ही वह रिश्वत की राशि उसे सुपुर्द करे तथा स्वतंत्र गवाहान को निर्देश दिया कि वो रिश्वत राशि के लेन–देन के दौरान आस पास ही छिपकर रहेंगे तथा उसे यह निर्देश दिया कि लेन–देन पूर्ण होने पर वह अपना चश्मा उतारकर या निरीक्षक राजेन्द्र कुमार के मोबाईल नम्बर पर फोन पर लेन–देन पूर्ण होने के बारे में अवगत करवाऊ। निरीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा उसे आकस्मिक जरूरत के लिए 2000/– रूपये भी दिये गये। डॉ0 बी आर परिहार के घर जाने से पूर्व दोनों स्वतंत्र गवाहान ने भी अपनी आपस में तलाशी ली थी।

10/ करीब 8 बजे वह बी आर परिहार के घर के गेट के पास गया तथा घण्टी (कॉलबेल) बजाई। कॉलबेल बजाने पर डॉ0 बी आर परिहार द्वारा दरवाजा खोला गया तथा उससे बातचीत की तथा उसे बाहर जाकर एक बार और सोचने के लिए कहा कि पैसे देने है अथवा नहीं। इसके पश्चात् वह थोडी देर के लिए बाहर आ गया तथा निरीक्षक राजेन्द्र कुमार से मिला जिन्होने उससे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर ले लिया तथा पुनः चालू करके उसे दे दिया तथा इसके बाद वह पुनः डॉ बी आर परिहार के पास गया । मिलने पर डॉ0 बी आर

परिहार ने कहा कि वह पैसे ले आया अथवा नहीं। इस पर उसने कहा कि अभी तो उसके पास 8,000/— रूपये ही है तो उन्होने कहा कि 2,000/— रूपये उसे सुबह दे देना, मैं तुम्हे फिटनेस सर्टिफिकेट दे दूंगा। इस पर उसने उसके पास रखे हुए 8,000/— रूपये डॉ बी आर परिहार को दे दिये जो उन्होने अपनी पहने हुए जिंस पेन्ट की दाहिनी जेब में रख लिये तथा घर के अन्दर चले गये। इसके पश्चात् वह घर से बाहर आया और निरीक्षक राजेन्द्र कुमार को उसके स्वयं के मोबाईल नम्बर 7742656697 से कॉल किया । उसके द्वारा किये कॉल सुनते ही निरीक्षक राजेन्द्र कुमार, सीबीआई टीम मय स्वतंत्र गवाहान वहां पर पहुंचे , तो उसने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर जो उसके पास था उनको सुपुर्द कर दिया, जिसको उन्होने बन्द कर दिया तथा उससे डॉ0 बी आर परिहार की पहचान करवाई। उसके द्वारा पहचान करने पर डॉ0 परिहार को पहचान जाहिर करने के लिए कहा जिस पर उन्होने अपना नाम डॉ0 बी आर परिहार होना बताया । उस वक्त डॉ0 बी आर परिहार द्वारा अपने पहने हुए पेन्ट को बदलकर पायजामा पहन लिया था। घर में अन्दर घुसने पर डॉ0 परिहार को रिश्वत के बारे में पूछने पर डॉ0 परिहार ने कहा कि उनसे गलती हो गई है तथा भविष्य में वे ऐसी गलती नहीं करेंगे। तत्पश्चात् डॉ0 परिहार द्वारा पहना गया पेन्ट जो उनके घर के एक कमरे पर खूंटी पर टंगा हुआ था, को चैक किया गया उसमें से उसके द्वारा दिये गये उपरोक्त 8,000/— रूपये स्वतंत्र गवाह रमेशचन्द्र सोतवाल द्वारा निकाले गये तथा उनको पूर्व में लिखे गये नोटों के नम्बरों से मिलान करने पर पाया कि ये वही नम्बरों के नोट थे। इसके पश्चात् एक गिलास में सादा पानी लेकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया । उपरोक्त घोल में डॉ0 बी आर परिहार की दांये हाथ की अंगुलियों को डुबोने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया । उपरोक्त दांये हाथ के धोवन को दो शीशियों में

भरकर लेबल लगाकर सीलचेपा किया गया । इसी प्रकार पुनः दूसरे गिलास में सादा पानी लेकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया । उपरोक्त घोल में डॉ0 बी आर परिहार की बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया । उपरोक्त बांये हाथ के धोवन को दो शीशियों में भरकर लेबल लगाकर सीलचेपा किया गया । तत्पश्चात् रिश्वत राशि के लेन–देन के दौरान डॉ0 बी आर परिहार द्वारा पहने गये जिंस के पेन्ट की दाहिनी जेब का धोवन लिया गया । धोवन लेने पर उसका रंग गुलाबी हो गया । उपरोक्त धोवन को दो शीशियों में भरकर लेबल लगाकर सीलचेपा किया गया। अभियुक्त बी आर परिहार के दांये हाथ के धोवन को जिन शीशियों में भरा गया था वह आर्टिकल 6 व 7 है । अभियुक्त बी आर परिहार के बांये हाथ के धोवन को जिन शीशियों में भरा गया था वह आर्टिकल 8 व 9 है तथा अभियुक्त बी आर परिहार के पहने हुए पेन्ट की दाहिनी जेब के धोवन को जिन शीशियों में भरा गया था वह आर्टिकल 10 व 11 है। डॉ0 बी आर परिहार द्वारा दिनांक 14.02.2017 को घटना के समय जींस का पेन्ट पहना हुआ था वह आर्टिकल 12 है तथा जिस थैली में पेन्ट को सील किया गया था वह थैली प्रदर्श पी 34 है। रिश्वत राशि के लेन–देन के दौरान उसके व डॉ0 बी आर परिहार के बीच हुई बातचीत की अनुलिपि प्रदर्श पी 35 तैयार की गई जिसमें उसकी व डॉ0 बी आर परिहार की आवाजों की पहचान उसके द्वारा की गई । घटना स्थल का एक नक्शा मौका प्रदर्श पी 36 बनाया गया तथा उपरोक्त कार्यवाही का एक मीमो प्रदर्श पी 37 तैयार किया गया जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी भाग में उसके हस्ताक्षर है। ट्रेप कार्यवाही व सत्यापन की कार्यवाही के दौरान प्रयुक्त मैमोरी कार्ड को उनकी कम्पनी पैक में डालकर अलग–अलग लिफाफे में डालकर सीलचेपा किया गया । एक माईक्रो एसडी कार्ड मार्क 'वी' जो

सीबीआई द्वारा सत्यापन की कार्यवाही में प्रयोग किया गया, आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 को जिस छोटे लिफाफे में डालकर सीलचेपा किया गया था वह लिफाफा प्रदर्श पी 38 है। एक माईक्रो एसडी कार्ड मार्क 'एमसी–1' जो सीबीआई द्वारा रिश्वत राशि के लेन–देन के समय प्रयोग किया गया आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 को जिस छोटे लिफाफे में डालकर सीलचेपा किया गया था वह लिफाफा प्रदर्श पी 39 है। ट्रेप कार्यावाही के दौरान प्रयोग में ली गई सील को सीबीआई वालों ने अपने पास रख लिया था ।

11/ पी.ड. 9 नरेन्द्र कुमार चौहान व पी.ड. 10 रमेश चन्द्र सोतवाल दोनो स्वतन्त्र गवाहन है जिन्होने परिवादी के कथनो का सम्पूर्ण समर्थन करते हुए साक्ष्य दी हैं ।

12/ पी.ड. 12 राजेन्द्र कुमार ने कथन किया है कि वह दिनांक 16.06.2014 से निरीक्षक के पद पर सीबीआई जोधपुर में कार्यरत हैं। वह दिनांक 14.02.2017 को सीबीआई जोधपुर ऑफिस में कार्यरत था। उस दिन कार्यकारी अधीक्षक जेबी सिंह ने उसे बुलाकर उसका परिचय शिकायतकर्ता रवि गुर्जुर से करवाया तथा उसके द्वारा लिखी गई शिकायत उसे दिखाई । शिकायत पुलिस अधीक्षक सीबीआई जोधपुर के नाम प्रेषित थी जिसमें शिकायतकर्ता ने यह शिकायत की थी कि वह रेल्वे में समदडी खण्ड में बतौर ट्रेक मैन कार्यरत है और उसका पिरियोडिकल मेडिकल एक्सामिनेशन रेल्वे हॉस्पिटल जोधपुर में कार्यरत डिविजनल मेडिकल ऑफिसर बी आर परिहार द्वारा किया जा रहा है। मेडिकल एक्सामिनेशन में शिकायतकर्ता को फिट घोषित करने के लिए अभियुक्त बी आर परिहार द्वारा रिश्वत राशि की मांग की जा रही है जो वह नहीं देना चाहता तथा कानूनी कार्यवाही चाहता है। शिकायतकर्ता द्वारा दी गई शिकायत सत्यापन हेतु कार्यकारी अधीक्षक जे बी सिंह ने उसे सुपुर्द की थी। शिकायतकर्ता रवि गुर्जर द्वारा दी

गई शिकायत प्रदर्श पी 30 है जिस पर जी से एच भाग में कार्यकारी अधीक्षक श्री जेबी सिंह के हस्ताक्षर है जो वह पहचानता हैं क्योंकि उसने उनके अधीनस्थ कार्य किया है और उनके हस्ताक्षरित दस्तावेज कार्यालय समय में देखे है। प्रदर्श पी 30 के आई से जे भाग में शिकायत का सत्यापन उसे सुपुर्द करने बाबत् पृष्ठांकन है।

13/ तत्पश्चात् उसने स्वतंत्र गवाह रमेशचन्द्र सोतवाल पीआरआई मुख्य डाकघर की उपस्थिति अग्रिम कार्यवाही हेतु सुनिश्चत की गई तथा वे सीबीआई कार्यालय में उपस्थित हुए । तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाह रमेशचन्द्र सोतवाल शिकायतकर्ता रवि गुर्जर से परिचय करवाया तथा वहां उपस्थित होने का कारण बताया । रमेशचन्द्र सोतवाल को शिकातकर्ता द्वारा दी गई शिकायत प्रदर्श पी 30 पढाई गई। रमेशचन्द्र सोतवाल प्रदर्श पी 30 शिकायत पढकर उस पर ई से एफ भाग में अपने हस्ताक्षर किये तथा सीबीआई कार्यवाही में सम्मिलित होने की अपनी स्वीकृति दी।

14/ तत्पश्चात् सत्यापन की कार्यवाही हेतु ट्रेप किट से एक डीवीआर निकाला तथा उसमें एक नया मैमोरी कार्ड लगाया तथा चलाकर यह पुष्टि की गई कि उसमें पूर्व से रिकॉर्डेड कोई आवाज नहीं थी एवं वह खाली था। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाह रमेशचन्द्र सोतवाल की परिचयात्मक आवाज उसमें दर्ज की गई। इसके पश्चात् वह, शिकायतकर्ता, स्वतंत्र गवाह व सीबीआई टीम के अन्य सदस्य आगे की कार्यवाही हेतु जेडीए सर्किल से रेल्वे अस्पताल के सामने पहुंचे । तत्पश्चात् शिकायतकर्ता रवि गुर्जर को डीवीआर ऑन करके रेल्वे अस्पताल भेजा तथा सीबीआई टीम के सदस्य व स्वतंत्र गवाह बाहर ही रूक गये। करीब 1 घण्टे बाद शिकायतकर्ता अस्पताल से बाहर आया उस समय उसने शिकायतकर्ता से डीवीआर लेकर बंद कर दिया । शिकायतकर्ता ने बताया कि अभियुक्त डॉ0 बी आर परिहार ने

उसे अपने चैम्बर के बाहर इंतजार करने के लिए कहा था परन्तु लगभग एक घण्टे का समय व्यतीत होने के बाद भी अभियुक्त ने उसे अन्दर नहीं बुलाया इसलिए वह बाहर आ गया । जिस पर उसने दुबारा डीवीआर ऑन करके शिकातयकर्ता रवि गुर्जर को दिया तथा सत्यापन की कार्यवाही हेतु उसे पुनः रेल्वे अस्पताल में भेजा । करीब 15–20 मिनट बाद शिकातयकर्ता बाहर आया और उसने उससे डीवीआर लेकर बंद कर दिया । शिकायतकर्ता ने बताया कि अभियुक्त डॉ0 बी आर परिहार ने उससे रिश्वत की मांग की और उसको रात 8 बजे अपने घर पर बुलाया है। इसके पश्चात् वे सभी आगे की कार्यवाही के लिए सीबीआई कार्यालय आ गये। सीबीआई कार्यालय में डीवीआर में रिकॉर्डेड आवाज को सभी के समक्ष सुना गया तथा रिकॉर्डेड आवाज की एक अनुलिपि तैयार की गई । अनुलिपि तैयार करते समय आवाजों की पहचान शिकायतकर्ता रवि गुर्जर द्वारा की गई। सत्यापन की कार्यवाही के समय रिकॉर्डेड आवाज की अनुलिपि प्रदर्श पी 31 है जिसके प्रत्येक पेज पर जी से एच भाग में उसक े हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् डीवीआर से मैमोरी कार्ड को बाहर निकाला तथा उसकी कम्पनी सील सहित लिफाफे में डालकर मौके पर सीलपैक कर दिया । सत्यापन की कार्यवाही के दौरान प्रयोग किया गया मैमोरी कार्ड आर्टिकल 13 है, जिसकी कम्पनी पैकिंग पर सी से डी भाग में उसके हस्ताक्षर है। मैमोरी कार्ड आर्टिकल 13 को जिस लिफाफे में डालकर सीलचेपा किया गया था वह लिफाफा प्रदर्श पी 38 है जिस पर सी से डी भाग में उसके हस्ताक्षर है। मैमोरी कार्ड सील करने के लिए जो सील प्रयोग में ली गई थी वह स्वतंत्र गवाह रमेशचन्द्र सोतवाल को इस निर्देश के साथ सुपुर्द की गई थी कि न्यायालय के मांगने पर या सीबीआई को आवश्यकता होने पर सुपुर्द कर देवें।

15/ सत्यापन की कार्यवाही की एक फर्द तैयार की गई थी जो प्रदर्श पी 32 है जिसके प्रत्येक पेज पर ई से एफ भाग में उसके हस्ताक्षर है। सत्यापन की कार्यवाही में पाया गया कि अभियुक्त बी आर परिहार रिश्वत की राशि की मांग कर रहा है। सत्यापन की रिपोर्ट मय दस्तावेज उसने कार्यकारी अधीक्षक श्री जेबी सिंह को सुपुर्द की थी जिसके आधार पर अभियुक्त बी आर परिहार के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर उसे अग्रिम अनुसंधान हेतु सुपुर्द किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 46 है जिस पर ए से बी भाग में तत्कालीन कार्यकारी पुलिस अधीक्षक श्री जे बी सिंह के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् उसने अग्रिम अनुसंधान हेतु एक सीबीआई टीम का गठन किया जिसमें वह, स्वतंत्र गवाह रमेशचन्द्र सोतवाल, नरेन्द्र कुमार चौहान जीवन बीमा निगम, मुकेश बंसल व सीबीआई के अन्य कर्मारी शामिल थे। इसके पश्चात् उसने सीबीआई टीम के सभी सदस्यों को उपस्थित होने का कारण बताया तथा दूसरे स्वतंत्र गवाह नरेन्द्र कुमार को शिकायत प्रदर्श पी 30 पढाई तथा उसका परिचय शिकायतकर्ता से करवाया । शिकायत पढने के पश्चात् स्वतंत्र गवाह नरेन्द्र कुमार ने शिकायत प्रदर्श पी 30 पर सी से डी भाग में अपने हस्ताक्षर किये तथा सीबीआई कार्यवाही में शामिल होने की अपनी अनुमति दी। उसके पश्चात् शिकायकर्ता रवि गुर्जर ने रिश्वत राशि के रूप में दिये जाने वाले रूपये 8,000/– जों दो–दो हजार के 4 नोट थे, प्रस्तुत किये। शिकायतकर्ता ने उसे बताया कि उस समय उसके पास केवल 8,000/– रूपये ही थे। उसके पश्चात् दोनों स्वतंत्र गवाहान ने नोटों के नम्बर नोट किये तथा उनका विवरण प्री–ट्रेप मीमो में दर्ज किया गया । इसके पश्चात् सीबीआई के हैड कांस्टेबल ने पानी के गुलाबी होने का दृष्टांत शिकायतकर्ता, स्वतंत्र गवाह व

सीबीआई के समक्ष प्रस्तुत किया । इसके पश्चात् दो–दो हजार रूपये के 4 नोटो पर फिनोप्थ्लीन पाउडर लगाकर शिकायतकर्ता की पहनी हुई पेन्ट की दांयी जेब में रख दिये। बचा हुआ फिनोप्थ्लीन पाउडर व प्रयोग किया गया पानी फेंक दिया । इसके पश्चात् स्वतंत्र गवाह रमेशचन्द्र ने शिकायकर्ता की तलाशी ली तो उसके पास मोबाईल व रूमाल के अलावा कुछ नहीं था। इसके पश्चात् सीबीआई टीम के सभी सदस्यों ने अपने हाथ साबुन व पानी से धोये तथा सोडियम कार्बोनेट के घोल में सभी ने अंगुलियां डालकर चैक किया कि पानी का रंग गुलाबी तो नहीं हुआ है। इसके पश्चात् शिकायतकर्ता को यह निर्देश दिया गया वह नोटों को न छुए, अभियुक्त से हाथ नहीं मिलाये तथा अभियुक्त द्वारा रिश्वत की मांग करने पर ही उसे रूपये देवे। इसके पश्चात् एक नया मैमोरी कार्ड निकालकर डीवीआर में चलाकर चैक किया गया कि उसमें पूर्व से कोई आवाज रिकार्ड तो नहीं है। तत्पश्चात् दोनों स्वतंत्र गवाहान की परिचयात्मक आवाज उसमें दर्ज की गई । स्वतंत्र गवाह नरेन्द्र चौहान को शिकायतकर्ता के साथ रहने के निर्देश दिये गये ताकि रिश्वत राशि के लेन–देन को वह देख सके। शिकायतकर्ता को यह निर्देश दिये गये कि रिश्वत राशि का लेन–देन पूर्ण हो जाने पर अपना चश्मा उतारकर या उसके मोबाईल पर फोन करके सूचित करें। इसके पश्चात् सीबीआई टीम के सभी सदस्यों ने आपस में एक दूसरे की तलाशी ली जिसमें किसी के भी पास कोई आपत्तिजनक वस्तु प्राप्त नहीं हुई। उपरोक्त कार्यवाही का एक मीमो प्रदर्श पी 3 तैयार किया गया जिसके प्रत्येक पेज पर जी से एच भाग में उसके हस्ताक्षर है ।

16/ इसके पश्चात् शाम करीब 7.30 बजे वह, सीबीआई टीम, स्वतंत्र गवाह व शिकायतकर्ता रवाना होकर टीआरएम स्थित अभियुक्त के बंगले के बाहर पहुंचे । इसके पश्चात् शिकायतकर्ता को डीवीआर

ऑन करके दिया तथा स्वतंत्र गवाह नरेन्द्र कुमार को शिकायतकर्ता के साथ ही रहने के निर्देश दिये तथा सीबीआई टीम के सदस्य बाहर ही रूक गये। इसके पश्चात् शिकातयकर्ता डॉ0 बी आर परिहार के बंगले के अन्दर चला गया परन्तु स्वतंत्र गवाह किसी कारणवश अन्दर नहीं जा सका। लगभग 15–20 मिनट पश्चात् बंगले से बाहर आया और मैंने डीवीआर लेकर बंद कर दिया । शिकायतकर्ता ने बताया कि अभियुक्त ने उसे मेडिकली फिट करने में दी जाने वाली रिश्वत पर पुनः विचार कर सोचने के लिए कहा है। तत्पश्चात् शिकायतकर्ता को डीवीआर ऑन करके पुनः अभियुक्त के बंगले भेजा । कुछ समय पश्चात् शिकायतकर्ता ने उसके मोबाईल पर फोन किया तथा बताया के अभियुक्त ने मांग कर उससे रिश्वत की राशि ले ली है। इसके बाद मैं शिकायतकर्ता के पास पहुंचा तथा उससे डीवीआर लेकर बंद कर दिया । इसके पश्चात् वह व सीबीआई टीम अभियुक्त बी आर परिहार के बंगले पहुंचे तथा डोरबैल बजाई । डोरबेल बजाने पर दरवाजा अभियुक्त बी आर परिहार ने खोला जिसे देखकर शिकायतकर्ता ने बताया कि यही डॉ0 बी आर परिहार है, जिसने उससे अभी रिश्वत की राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् सीबीआई टीम के दो सदस्यों ने अभियुक्त डॉ0 बी आर परिहार के दोनों हाथों को कलाईयों से पकड लिया । उसके बाद उसने स्वयं व सीबीआई टीम का परिचय दिया तथा अभियुक्त को उसका परिचय देने के लिए कहा जिस पर अभियुक्त ने बताया कि वह बतौर डीएमओ रेल्वे असपताल में कार्यरत है। इसके पश्चात् अभियुक्त से शिकायतकर्ता से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा जिस पर वह घबरा गया और कहा कि उससे गलती हो गई है। उसके पश्चात् शिकायतकर्ता ने बताया कि अभियुक्त ने रिश्वत राशि लेकर उस समय पहनी हुई अपनी जीन्स की दांयी जेब में रखा था तथा इस समय उसने पायजामा पहना हुआ है।

इसके पश्चात् उसके निर्देश पर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया तथा अभियुक्त के दांये हाथ की अंगुलियों को उसमें डुबाया जिससे घोल का रंग गुलाबी हो गया । घोल को दो शीशियों में डालकर सीलचेपा किया गया । इसी प्रकार अभियुक्त के बांये हाथ की अंगुलियों का भी धोवन लिया गया तथा घोल को दो शीशियों में डालकर सीलचेपा किया गया । इसके पश्चात् अभियुक्त से पूछा तो उसने बताया कि रिश्वत की राशि उसकी जीन्स पेन्ट की दांयी जेब में है जो उसके कमरे में टंगी हुई है। इसके पश्चात् स्वतंत्र गवाह नरेन्द्र कुमार अभियुक्त की पेन्ट लेकर आये तथा पेन्ट की जेब से 8,000/– रूपये की रिश्वत की राशि को निकाला। उक्त नोटों के नम्बर का मिलान करने पर पाया कि ये वही नोट थे जिनके नम्बर प्री ट्रेप मीमो में नोट किये थे। तत्पश्चात् रिश्वत राशि के नोटों को मौके पर सील कर दिया गया। इसके पश्चात् पुनः सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर अभियुक्त की जीन्स पेन्ट की दांयी जेब के अन्दर के भाग को घोल में डुबाया गया जिससे पानी का रंग गुलाबी हो गया तथा घोल को दो शीशियों में डालकर सीलचेपा किया गया । अभियुक्त की जीन्स पेन्ट को सफेद कपडे में डालकर मौके पर ही सीलचेपा किया गया । इसके पश्चात् डीवीआर में रिकॉर्डेड आवाज को सभी के समक्ष सुना गया तथा रिकॉर्डेड आवाजों की हुबहु अनुलिपि तैयार की गई। अनुलिपि तैयार करते समय आवाजों की पहचान शिकायतकर्ता रवि गुर्जर द्वारा की गई थी । रिश्वत राशि के लेन–देन के समय प्रयुक्त मैमोरी कार्ड को डीवीआर से निकालकर उसकी कम्पनी सील सहित लिफाफे में डालकर सीलचेपा किया गया । मैमोरी कार्ड को सील करने से पहले उसकी एक कॉपी लैपटॉप में अग्रिम अनुसंधान हेतु ली गई। अभियुक्त के दांये हाथ का धोवन जिन शीशियों में लिया था वह आर्टिकल 6 व 7 है तथा बांये हाथ का धोवन जिन शीशियों में लिया

था वह आर्टिकल 8 व 9 है । अभियुक्त के पेन्ट का धोवन जिन शीशियों में डालकर सीलचेपा किया था वे आर्टिकल 10 व 11 है। आर्टिकल 6 से 11 पर लगी पर्ची पर ई से एफ भाग में उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त द्वारा रिश्वत राशि लेते समय पहनी गई पेन्ट आर्टिकल 12 है जिस पर ई से एफ भाग में उसके हस्ताक्षर है। पेन्ट आर्टिकल 12 को कपडे की जिस थैली में डालकर सीलचेपा किया गया था वह प्रदर्श पी 34 है जिस पर ई से एफ भाग में उसके हस्ताक्षर है। रिश्वत राशि के लेन–देन के समय जो मैमोरी कार्ड प्रयोग में लिया गया था वह आर्टिकल 14 है जिसकी कम्पनी सील पर ई से एफ भाग में उसके हस्ताक्षर है। आर्टिकल 14 को जिस लिफाफे में डालकर सीलचेपा किया गया था वह प्रदर्श पी 39 है जिस पर ई से एफ भाग में उसके हस्ताक्षर है। रिश्वत राशि के लेन–देन के समय की जो अनुलिपि तैयार की गई थी वह प्रदर्श पी 35 है जिसके प्रत्येक पेज पर जी से एच भाग में उसके हस्ताक्षर है। घटना स्थल का एक नक्शा मौका तैयार किया गया था वह प्रदर्श पी 36 है जिस पर ई से एफ भाग में उसके हस्ताक्षर है। रिश्वत राशि बरामदगी की एक फर्द तैयार की गई थी जो प्रदर्श पी 37 है जिसके प्रत्येक पेज पर जी से एच भाग में उसके हस्ताक्षर है। उक्त कार्यवाही में प्रयोग में ली गई सील को नरेन्द्र कुमार को इस निर्देश के साथ सुपुर्द की गई कि न्यायालय के आदेश पर या सीबीआई के मांगने पर प्रस्तुत करें।

17/ इसके पश्चात् दिनांक 15.02.2017 को स्वतंत्र गवाह रमेशचन्द्र सोतवाल व नरेन्द्र कुमार को सीबीआई कार्यालय में बुलाया गया । स्वतंत्र गवाहान के सीबीआई कार्यालय में पहुंचने के पश्चात् उनका परिचय अभियुक्त बी आर परिहार से करवाकर वहां उपस्थित होने का प्रयोजन बताया । उसके पश्चात् स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में अभियुक्त बी आर परिहार को उसकी नमूना आवाज देने

के लिए कहा गया जिस पर उसने अपनी स्वीकृति दी। इसके पश्चात् एक नया मैमोरी कार्ड निकालकर उसे डीवीआर में लगाया गया तथा यह सुनिश्चित किया गया कि उसमें कोई आवाज नहीं थी। उसके पश्चात् दोनों स्वतंत्र गवाहान की परिचयात्मक आवाज उसमें दर्ज की गई। इसके पश्चात् डॉ0 बी आर परिहार की नमूना आवाज डीवीआर चलाकर उसमें दर्ज की गई। डीवीआर से मैमोरी कार्ड निकालकर उसकी कम्पनी सील सहित एक लिफाफे में डालकर सीलचेपा किया गया । अभियुक्त की नमना आवाज लेने की कार्यवाही में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड आर्टिकल 15 है जिसकी कम्पनी सील पर ई से एफ भाग में उसके हस्ताक्षर है। आर्टिकल 15 को जिस लिफाफे में डालकर सीलचेपा किया गया वह प्रदर्श पी 40 है जिस पर ई से एफ भाग में उसके हस्ताक्षर है। नमूना आवाज लेने की एक फर्द तैयार की गई थी जो प्रदर्श पी 41 है जिसके प्रत्येक पेज पर ई से एफ भाग में उसके हस्ताक्षर है।

18/ पी.ड. 1 श्याम किशोर ने यह भी कथन किया है कि दिनांक 31.05.2017 को सीबीआई कार्यालय जाकर वह श्री भानवेन्द्र चौधरी, निरीक्षक सीबीआई से मिला था। सीबीआई निरीक्षक भानवेन्द्र चौधरी ने उसे लैपटॉप में काफी आवाजें सुनाई, जिनको सुनकर उसने उनमें से एक आवाज अभियुक्त बी आर परिहार की होना बताया। उपरोक्त कार्यवाही का एक मीमो तैयार किया जो प्रदर्श पी 5 है जिसके प्रत्येक पेज पर ए से बी भाग में उसके हस्ताक्षर है।

19/ पी.ड. 2 बी. मजुमदार ने कथन किया है कि वह मार्च 2014 से फरवरी 2018 तक संयुक्त सचिव (स्थापना) द्वितीय के पद पर रेल भवन नई दिल्ली में पदस्थापित रहा। डॉ0 बी आर परिहार सीनियर डिविजनल मेडिकल ऑफिसर, रेल्वे हॉस्पिटल उत्तर–पश्चिम रेल्वे में तैनात था। डॉ0 बी आर परिहार के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्राप्त

करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा एफआईआर की कॉपी, अन्वेषण रिपोर्ट, प्री ट्रेप तथा पोस्ट ट्रेप मेमोरेण्डम तथा अन्य दस्तावेजात रेल्वे बोर्ड के विजिलेन्स निदेशालय को भेजे गये थे। उपरोक्त दस्तावेज का अध्ययन कर प्रस्ताव के साथ तत्कालीन रेल मंत्री को उपरोक्त दस्तावेज भिजवाये थे। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने रेल मंत्री को अधिकृत किया हुआ है, इसलिए रेलमंत्री द्वारा उपरोक्त दस्तावेज का अध्ययन करने के पश्चात् डॉ0 बी आर परिहार के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की थी । तत्पश्चात् उपरोक्त दस्तावेज मय फाईल उसे प्राप्त हुए। रेलमंत्री की स्वीकृति, सीबीआई की रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजात का अध्ययन करने के पश्चात् उसने अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदर्श पी 6 बनवाया तथा उसने प्रत्येक पेज पर ए से बी हस्ताक्षर किये एवं सीबीआई को आगे भेजने के लिए विजिलेन्स निदेशालय को भिजवाया। विजिलेन्स निदेशालय ने उपरोक्त आदेश प्रदर्श पी 6 को जरिये पत्र प्रदर्श पी 7 पुलिस अधीक्षक, सीबीआई जोधपुर को भिजवाया।

20/ पी.ड. 3 डॉ0 रूचि जैन ने कथन किया है कि रवि गुर्जर सीएमएस जोधपुर से रैफर होकर मेडिकल जांच के लिए रेल्वे अस्पताल जयपुर में दिनांक 18.02.2017 को आया था। उसने रवि गुर्जर की आंखों की जांच की थी और पाया था कि उसके चश्मे का नम्बर 2 डायप्टर है तथा उसका विजन चश्मे के साथ 6 X 6 दोनों आंखों में है। तत्पश्चात् उसकी आंखों की जांच दवा डालकर पुतली फैलाकर की गई । जिसमें उसका पर्दा ठीक पाया गया तथा चश्मों का कच्चा नम्बर – 1.75 डी. स्फेरिकल तथा – 0.25 स्लेंडिकल एक्सिस 150 डिग्री दांयी आंख में पायी गई तथा बांयी आंख में –2 डी. स्फेरिकल एवं –0.25 स्लेंडिकल एक्सिस 115 डिग्री पायी गई। इस सम्बन्ध में उसने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 जारी की जिस पर ए

से बी उसके हस्ताक्षर है।

21/ पी.ड. 4 डॉ0 मंगला देवी ने कथन किया है कि रेल्वे डिविजनल अस्पताल के इंचार्ज सीएमएस डॉ0 के श्रीधर है । प्रोडक्शन कम सीजर मीमो दिनांक 19.04.2017 के जरिये सीबीआई के निरीक्षक श्री भवरेन्द्र चौधरी को दस्तावेज सौपे थे। उक्त मीमो प्रदर्श पी 9 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त मीमो के जरिये जो दस्तावेज उसने सीबीआई जोधपुर को दिये थे उनमें भारतीय रेल्वे मेडिकल मेन्यूअल 2000 जो कि रेल्वे बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ था, की प्रति आर्टिकल 3 है। रवि गुर्जर के मेडिकल जांच सम्बन्धी दस्तावेज दिये थे जो कुल 9 पृष्ठों में है। रवि गुर्जर के नाम का मेडिकल सी 9 प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 10 है । उसके द्वारा रवि गुर्जर को फिट घोषित करने का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 11 है । उसके द्वारा रवि गुर्जर को डॉ0 आभा के पास रैफर करने व उनकी राय से सम्बन्धित पर्ची प्रदर्श पी 12 है जिस पर ए से बी डॉ0 आभा के हस्ताक्षर है जो वह पहचानती है क्योंकि उसने उनके साथ काम किया है। रवि गुर्जर को आरएमसी (सिक) में लेने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 13 है । रवि गुर्जर को आंखों के परीक्षण हेतु डॉ0 रूचि जैन के पास जयपुर रैफर किया था, रवि गुर्जर की आंखों के परीक्षण के पश्चात् जो राय डॉ0 रूचि जैन ने की थी व प्रदर्श पी 8 है। रवि गुर्जर का मेडिकल उपस्थिति कार्ड प्रदर्श पी 14 है। दिनांक 08.02. 2017 को रवि गुर्जर के नाम का चिकित्सा प्रमाण पत्र सी 9 प्रदर्श पी 15 है। रवि गुर्जर के नाम का जीएम 3 मीमो प्रदर्श पी 16, मेडिकल डिपार्टमेन्ट के प्रीस्क्रिप्शन मीमो प्रदर्श पी 17 है । प्रदर्श पी 10 से पी 11, पी 13 व पी 14 से पी 17 पर सत्यापन बाबत् ए से बी उसकेहस्ताक्षर है । आर्टिकल 1 रजिस्टर डार्क रूम का सम्बन्धित लिपिक संधारित करता है तथा रजिस्टर में एम्पलॉई या व्यक्ति के नाम

सम्बधित लिपिक लिखता है तथा विजन से सम्बन्धित इन्द्राज डॉक्टर द्वारा किया जाता है । प्रदर्श पी 3 कम संख्या 34 पर सी से डी भाग में ए3 लिखा हुआ है जो सम्बन्धित कर्मचारी की कैटेगिरी है तथा ई से एफ भाग में डॉक्टर द्वारा रवि गुर्जर के दृष्टि के मानक इन्द्राज है। आर्टिकल 2 प्रदर्श पी 4 रवि गुर्जर का सी 9 प्रमाण पत्र है जिसमें विजन सम्बन्धित कॉलम जो जी से एच भाग में है खाली छोडा गया है। प्रदर्श पी 4 पर ई से एफ भाग में अंग्रेजी भाषा में किया गया इन्द्राज डॉ0 बी आर परिहार के हाथ का है। दिनांक 15.02.2017 को डॉ0 के श्रीधर द्वारा डॉ0 बी आर परिहार के सभी पैडिंग केस उसे सुपुर्द कर दिये थे जिसमें रवि गुर्जर का केस भी शामिल था । उसने प्रदर्श पी 12 के जरिये रवि गुर्जर को डॉ0 आभा के पास आंखों व चश्मे की जांच के लिए भेजा । डॉ0 आभा की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् आरएमसी में रखने के लिए प्रदर्श पी 13 के जरियं समदडी भेजा ।

22/ तत्पश्चात् उसने रवि गुर्जर को प्रदर्श पी 18 के जरिये आंखों की जांच के लिए सेंन्ट्रल अस्पताल जयपुर भेजा । प्रदर्श पी 18 पर ए से बी उसके व सी से डी के श्रीधर के हस्ताक्षर है । सेन्ट्रल जयपुर अस्पताल डॉ0 रूचि द्वारा आंखों व चश्मों की जांच के पश्चात् जो रिपोर्ट तैयार की गई थी वह प्रदर्श पी 8 है। तत्पश्चात् दिनांक 20.02.2017 को रवि गुर्जर से सम्बन्धित रिपोर्ट के आधार पर उसने प्रदर्श पी 10 के जरिये इण्डियन रेल्वे मेडिकल मैन्यअल के मानको के अनुसार उसे फिट फॉर ए 3 विथ डी वी ग्लासेज घोषित किया है जिसका इन्द्राज प्रदर्श पी 10 के सी से डी भाग में है। तत्पश्चात् उसने एडीएमओ समदडी के नाम रवि गुर्जर को फीट किये जाने बाबत् पत्र जारी किया जो प्रदर्श पी 11 है।

23/ पी.ड. 5 योगेश शर्मा ने कथन किया है कि प्रोडक्शन कम

सीजर मीमो दिनांक 22.06.2017 के जरिये सीबीआई के निरीक्षक श्री भवरेन्द्र चौधरी को उसमें उल्लेखित दस्तावेज सौपे थे। उक्त मीमो प्रदर्श पी 19 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पत्र दिनांक 23.02.1998, प्रदर्श पी 20 अभियुक्त बी आर परिहार की नियुक्ति से सम्बन्धित पत्र है जिसके जरिये उन्हें पश्चिम रेल्वे से उत्तर रेल्वे में नियुक्ति का प्रस्ताव दिया था । प्रदर्श पी 21 बी आर परिहार की नियुक्ति से सम्बन्धित टर्म एण्ड कंडिशन्स है जो कुल 5 पृष्ठों में है। प्रदर्श पी 20 व पी 21 पर ए से बी अशोक भण्डारी ज्वाइंट डायरेक्टर के हस्ताक्षर है जो वह पहचानता है क्योंकि उनके हस्ताक्षरित पत्र उसने कार्यालय समय में देखे है। पत्र दिनांक 09.03.1998 प्रदर्श पी 22 के जरिये डॉ0 बी आर परिहार जिन्होने 05.03.1998 को पदभार ग्रहण किया, उनको पत्र में वर्णित विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्रामों के लिए भेजा गया था । मीमो प्रदर्श पी 20 के जरिये जो अन्य दस्तावेज सीबीआई को सुपुर्द किये थे वे प्रदर्श पी 23 व पी 24 है। डॉ0 बी आर परिहार की सर्विस बुक आर्टिकल 4 है । आर्टिकल 4 पेज संख्या 9 प्रदर्श पी 25 डॉ0 बी आर परिहार का समदडी में पदस्थापन आदेश है तथा प्रदर्श पी 26 के जरिये डॉ0 परिहार ने दिनांक 13.05.1998 को रेल्वे हैल्थ यूनिट समदडी में एडीएमओ के पद का कार्यग्रहण किया था ।

24/ पी.ड. 6 डा. के. श्रीधर ने कथन किया है कि सीबीआई जोधपुर द्वारा मॉगा जाने पर उसने जरिये फर्द जब्ति प्रदर्श पी–27 इसमें उल्लेखित दस्तावेजात प्रदर्श पी–28, रेल कर्मचारियों एवं उम्मीदवारों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सको को नामित करने का रजिस्टर आर्टिकल–5 दिये थे । प्रदर्श पी–27 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं । रजिस्टर आर्टिकल–5 में कार्यालय आदेश दिनॉक 31.1.2017 जो पेज संख्या 125 प्रदर्श पी–29 के जरिये उसने डा. बी.आर. परिहार को ए–1 व उससे नीचे के रेल्वे कर्मचारियों एवं उम्मीदवारों के

स्वास्थ्य परीक्षण हेतु दिनॉक 1.2.2017 से 15.2.2017 तक के लिये नामित किया था । प्रदर्श पी–29 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं ।

25/ यदि कोई उम्मीदवार या कर्मचारी मेडीकल के लिये आता है तो सबसे पहले वह अपना नाम ओपीडी रजिस्टर में पंजीयन करायेगा। उसके बाद पीरियोडीकल मेडीकल एग्जामिनेशन के डीलींग क्लर्क द्वारा उसका वेरीफिकेशन व एडेन्टीफिकेशन से सम्बन्धित दस्तावेजात देखता है तथा उसे सम्बन्धित डाक्टर के पास मेडीकल एग्जामिनेशन हेतु भेज देता हैं । सम्बन्धित डाक्टर उसकी केटेगिरी व पहचान चिन्ह, हस्ताक्षर सत्यापन करके उस केटेगिरी में ंजो जो टेस्टो की आवश्यकता है, उसके अनुरूप जॉच हेतु भेजा जाता हैं । मेडीकल टेस्ट के बाद सम्बन्धित कर्मचारी या उम्मीदवार सम्बन्धित डाक्टर से मिलता है । तत्पश्चात उसकी मेडीकल जॉच की जाती हैं । जॉच के पश्चात सम्बन्धित यदि फिट पाया जाता है तो उसे फिट प्रमाण पत्र जारी किया जाता है अन्यथा उसे करेक्टिव मेजर्स लेने के लिये कहा जाता हैं । मेडीकल जॉच हेतु केटेगिरी ए–2 में रनिंग स्टाफ, सेन्टिग स्टाफ, पाईन्ट लोकर स्टेशन मास्टर्स, सिगनल के आपरेशन से सम्बन्धित अन्य स्टाफ आता हैं ।मेडीकल जॉच हेतु केटेगिरी ए–3 में लोको स्टाफ, सिगनल एवं ट्रोली चलाने से सम्बन्धित स्टाफ, यार्ड सुपरवाईजरी स्टाफ, रोड मोटर ड्राईवर तथा लेवल क्रोसिंग के गेटकीपर आते हैं । मेडीकल जॉच हेतु केटेगिरी बी–1 में स्टेशन एवं यार्ड नोन सुपरवाईजरी स्टाफ, शेड के कर्मचारी आते हैं । मेडीकल जॉच हेतु केटेगिरी ए–1, ए–2 व ए–3 में प्रत्येक चार वर्ष बाद 45 वर्ष की उम्र तक तथा उसके बाद प्रत्येक दो वर्ष में 55 वर्ष की उम्र तक एवं उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष कर्मचारी की मेडीकल जॉच आवश्यक हैं । मेडीकल जॉच हेतु केटेगिरी बी–1 व बी–2 में 45 वर्ष की उम्र के बाद प्रत्येक पांच वर्ष में कर्मचारी की मेडीकल जॉच आवश्यक हैं ।

26/ मेडीकल एग्जामिनेशन के दौरान दो तरह के टेस्ट किये जाते है जिसमें 1– जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन व 2– विजन टेस्ट होता हैं । जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में सम्पूर्ण शारीरिक जॉच होती है जैसे लंग्स, हार्ट इत्यादि की जॉच की जाती हैं तथा विजन टेस्ट में ऑखो की सम्पूर्ण जॉच की जाती हैं । कर्मचारी का पीरियडीकल एग्जामिनेशन तीन दिन में पूरा हो जाना चाहिये ।

27/ पी.ड. 7 जयप्रकाश ने कथन किया है कि वह 30.04.2016 से सीनियर सेक्शन इंजिनियर, रेलपथ समदडी में पदस्थापित हैं । वह रवि गुर्जर को जानता हैं जो उसके अधीनस्थ गैंग नम्बर 46 में कार्यरत है। रवि गुर्जर ने उसके आने से पूर्व ट्रेक मैन के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। ट्रेक मैन के लिए बी–1 कैटेगिरी के मापदण्डों के अनुसार पास होना जरूरी होता है लेकिन इनको कभी–कभी रेल्वे क्रॉसिंग पर भी तैनात किया जाता है जिसके लिए ए–3 कैटेंगिरी के मादण्डों के अनुसार पास होना आवश्यक है तथा 45 साल की उम्र तक हर चौथे वर्ष पीरियोडिकल मेडिकल एक्सामिनेशन करवाना भेजना आवश्यक होता है। अतः रवि गुर्जर को पीरियोडिकल मेडिकल एक्सामिनेशन फरवरी 2017 में ए–3 मेडिकल एक्सामिनेशन के लिए भेजा गया था, जिसके लिए रवि गुर्जर को मेडिकल मीमो व ड्यूटी पास दिया गया था तथा यह निर्देश दिये गये थे कि मेडिकल एक्सामिनेशन पास करने के तुरन्त बाद ड्यूटी ज्वाइन करें । रवि गुर्जर को दिनांक 11.02.2017 तक मेडिकल एक्सामिनेशन के बाद ड्यूटी ज्वाइन करनी थी परन्तु उन्होने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। रवि गुर्जर ए–3 केटेगिरी के मेडिकल एक्सामिनेशन के लिए इसलिए भेजा गया था क्योंकि उसे आपातकालीन स्थिति में ए–3 कैटेंगिरी का भी काम करवाया जाना था। मेडिकल मीमो प्रदर्श पी 1 पर ए से बी भाग में दो जगह उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 1

उसने दिनांक 07.02.2017 को रवि गुर्जर को दिया था।

28/ पी.ड. 11 दीपक कुमार ने कथन किया है कि दिनॉक 03.03. 2017 को भौतिक डिवीजन में तीन सील्ड पार्सल एस.पी. सीबीआई एसीबी, जोधपुर के पत्र दिनॉक 02.03.2017 के साथ नमूना सील इम्प्रेशन तथा वार्तालाप की अनुलिपि सहित सीएफएसएल नई दिल्ली में प्राप्त हुए थे । इन पार्सलो को उसने पार्सल वी, एमसी–1 और एसवी से दर्शाया था ।

पार्सल वी में उसने एक माईक्रो एसडी कार्ड आर्टिकल 13 पाया जिसमें बी आर परिहार की प्रश्नगत आवाज बताई गई थी जिसको उसने वी (3) (बी) से दर्शाया। जिस लिफाफे में आर्टिकल 13 प्राप्त हुआ वह लिफाफा प्रदर्श पी 38 है। आर्टिकल 13 व प्रदर्श पी 38 पर सी से डी भाग में उसके हस्ताक्षर हैं ।

पार्सल एमसी–1 में उसने एक माईक्रो एसडी कार्ड आर्टिकल 14 पाया जिसमें बी आर परिहार की प्रश्नगत आवाज बताई गई थी जिसको उसने एमसी–1 (3) (बी) दर्शाया। जिस लिफाफे में आर्टिकल 14 प्राप्त हुआ वह लिफाफा प्रदर्श पी 39 है । आर्टिकल 14 व प्रर्दा पी 39 पर ई से एफ भाग में उसके हस्ताक्षर हैं ।

पार्सल एसवी में उसने एक माईक्रो एसडी कार्ड आर्टिकल 15 पाया जिसमें बी आर परिहार की नमूना आवाज बताई गई थी जिसको उसने एसवी (बी) दर्शाया। जिस लिफाफे में आर्टिकल 15 प्राप्त हुआ वह लिफाफा प्रदर्श पी 40 है । आर्टिकल 15 व प्रर्दा पी 40 पर ई से एफ भाग में उसके हस्ताक्षर हैं ।

29/ उसने बी आर परिहार की प्रश्नगत आवाज को उसके नमूना आवाज से ओडीटरी एग्जामिनेशन तथा वाईस स्पेक्ट्रोग्राफिक एग्जामिनेशन के द्वारा मिलान किया तो प्रश्नगत आवाज व नमूना

आवाज लिंगिविस्टिक, फोनेटिक्स व अदर जनरल स्पेक्ट्रोग्राफिक पेरामीटर के सन्दर्भ में मेल खाती पाई गई । इन परीक्षणों के आधार पर वह इस नतीजे पर पॅहुचा कि बी आर परिहार की प्रश्न आवाज जिसको प्रदर्श वी (3) (बी) और एमसी–1 (3) (बी) से दर्शाया गया था जो कि बी आर परिहार की सम्भाव्य आवाज है, जिसकी कि नमूना आवाज को प्रदर्श एसवी (बी) से दर्शाया गया था। नमूना आवाज व प्रश्नगत आवाज का 95 प्रतिशत से अधिक मिलान होने पर सम्भावी आवाज मानी जाती हैं ।

30/ पार्सलो का विवरण, उस पर लगी नमूना सील, पार्सलो में पायी गयी सामग्री, उसमें रिकॉर्ड की गई आवाजों के अंतराल, फाईल व फोल्डरों के नाम का विवरण तथा जॉच हेतु जो प्रक्रिया अपनाई उन सब का विवरण उसकी जॉच के विस्तृत परिणाम प्रदर्श पी 42 में दर्शाया हुआ है जिसके प्रत्येक पेज पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । बाद जॉच माईक्रो एसडी कार्ड आर्टिकल 13 को उसके लिफाफे प्रदर्श पी 38 सहित लिफाफा प्रदर्श पी 43 में व माईक्रो एसडी कार्ड आर्टिकल 14 को उसके लिफाफे प्रदर्श पी 39 सहित लिफाफा प्रदर्श पी 44 तथा माईक्रो एसडी कार्ड आर्टिकल 15 को उसके लिफाफे प्रदर्श पी 40 सहित लिफाफा प्रदर्श पी 45 में डालकर सीबीआई जोधपुर को उसके कार्यालय द्वारा भेजा गया था। लिफाफे प्रदर्श पी 43 से पी 45 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं ।

31/ पी.ड. 13 भवरेन्द्र चौधरी ने कथन किया है कि आरसी जेडीएच 2017 ए–0001 सीबीआई एसीबी जोधपुर में रवि गुर्जर की शिकायत प्रदर्श पी–30 के आधार पर दर्ज हुआ था । प्रकरण दर्ज होने के पश्चात अन्वेषण सीबीआई निरीक्षक राजेन्द्र कुमार को सौपा गया था । उक्त प्रकरण का अन्वेषण उसे सुपुर्द किया था जिसका आदेश प्रदर्श पी–47 है जिस पर ए से बी हस्ताक्षर हरिश चन्द्र शर्मा

तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के है । दौराने अन्वेषण इस प्रकरण से सम्बन्धित मेमोरी कार्ड केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोग शाला, दिल्ली उसने जरिये पत्र प्रदर्श पी–48 भेजे थे । प्रदर्श पी–48 पर ए से बी पुलिस अधीक्षक हरिश चन्द्र शर्मा के हस्ताक्षर हैं । दौराने अन्वेषण इस प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्त के दोनो हाथो का धोवन व पेन्ट की जेब का धोवन केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोग शाला, दिल्ली उसने जरिये पत्र प्रदर्श पी–49 भेजे थे । प्रदर्श पी–49 पर ए से बी पुलिस अधीक्षक हरिश चन्द्र शर्मा के हस्ताक्षर हैं । केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला से धोवन की रिपोर्ट प्रदर्श पी–50 प्राप्त हुई थी, जिसे शामिल अनुसंधान किया गया । दौराने अनुसंधान उसने अभियुक्त बी.आर.परिहार के आवाज की पहचान स्वतन्त्र गवाह रमेश चन्द्र सोतवाल की उपस्थिति में बी.आर.परिहार के कार्यालय के कार्यालय अधीक्षक श्याम किशोर से करवाई थी तथा इस कार्यवाही का मीमो बनाया जो प्रदर्श पी–5 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं ।

दौराने अन्वेषण दिनॉक 15.2.2017 को सीबीआई निरीक्षक यू. के.शर्मा द्वारा डीवीजनल रेलवे अस्पताल, जोधपुर के डार्क रूम व इससे लगे हुए कमरे की तलाशी ली गई थी । तलाशी के दौरान फार्म एमईडी 62 प्रदर्श पी–1, दवा पर्ची प्रदर्श पी–2, रेलवे कर्मचारियों द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के लिए अस्पताल में उपस्थित होने का रजिस्टर आर्टिकल–1 तथा कर्मचारियो के फिजिकल फिटनेश की किताब आर्टिकल–2 जब्त की गई थी । इस सर्च का मीमो बनाया जो प्रदर्श पी–51 बनाया जिस पर यू.के.शर्मा के हस्ताक्षर ए से बी है जो वह पहचानता है । यू.के.शर्मा को हस्ताक्षर करते हुए उसने देखा हैं । उपरोक्त दस्तावेज अन्वेषण के दौरान उसने प्राप्त किये थे । दौराने अनुसंधान प्रोडक्शन कम सीजर मीमो प्रदर्श पी–52 अभियुक्त बी.आर. परिहार की सेवा पुस्तिका आर्टिकल–4 हेमन्त भारद्वाज से जब्त की थी,

इस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं । दौराने अनुसंधान प्रोडक्शन कम सीजर मीमो प्रदर्श पी–9 के जरिये उसने भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली आर्टिकल–3 तथा रवि गुर्जर के समय समय पर चिकित्सीय परीक्षण कराये जाने से सम्बन्धित कागजात प्रदर्श पी–8, 10 से 17 की प्रमाणित प्रतिया डा. मंगलादेवी से जब्त की थी । प्रदर्श पी–9 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं । दौराने अनुसंधान प्रोडक्शन कम सीजर मीमो प्रदर्श पी–27 के जरिये उसने पत्र प्रदर्श पी–28 व रेलवे अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण हेतु डाक्टरों के नोमीनेशन से सम्बन्धित रजिस्टर आर्टिकल–5 डाक्टर के.सी.धर से जब्त किया था । प्रदर्श पी–27 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं । दौराने अनुसंधान उसने जरिये फर्द जब्ति प्रदर्श पी–53, पी–19 के जरिये उनमें उल्लेखित दस्तावेज जब्त किये थे प्रदर्श पी–53 व 19 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं । दौराने अनुसंधान केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला से अभियुक्त के आवाजो की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–42 प्राप्त हुई जिसे उसने जरिये प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–54 माननीय न्यायालय में पेश की थी प्रदर्श पी–54 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं । अन्वेषण के दौराने उसने गवाहन के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये थे तथा अभियुक्त बी.आर.परिहार के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था ।

32/ उक्त तर्को के खण्डन में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि परिवादी का कोई कार्य अभियुक्त के पास लम्बित नही था । परिवादी अपनी ऑखो की जॉच के दौरान 5–7 दिन तक अभियुक्त के पास आया भी नही था । अभियुक्त ने परिवादी से कभी रिश्वत की मॉग नही की और न ही रिश्वत राशि प्राप्त की हैं । सत्यापन की जो कार्यवाही की गई है, उसमें रूपये की स्पष्ट मॉग भी नही हैं । इसके अलावा परिवादी के बयानो में भी अभियुक्त के द्वारा

रिश्वत की मॉग की गई हो ऐसा कोई जिकर नही हैं । वास्तव में सही बात यह है कि परिवादी ने अपनी ऑखो की जॉच के दरम्यान अभियुक्त से यह बात अवश्य की थी कि उसके रिश्तेदार के ऑखो में लेन्स लगवाना है, प्राईवेट अस्पताल वाले 30–35 हजार रूपये मॉग रहे हैं । वो फाईनेन्शियल कमजोर है तथा आपके (अभियुक्त के) मित्र ऑखो के डाक्टर है जो आपके कहने से सस्ते में 10,000/– रूपये तक ऑखो के लेंस लगा देगें । परिवादी ने ऑखो के लेंस हेतु ही पैसे दिये थे ।

33/ उनका यह भी तर्क रहा हैं कि अभियोजन गवाहो के कथनो में भारी विरोधाभाष हैं। अनुलिपियो के साथ धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र नही हैं । अभियोजन स्वीकृति बिना मष्तिष्क का प्रयोग किये दी गई है जो कि विधिनुसार वैध नही हैं । पी.ड. 2 बी.मजुमदार ने अपनी जिरह में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि वह अभियुक्त को पदच्यूत करने एवं अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु सक्षम नही हैं । अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया हैं।

34/ इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के जिरह की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है । पी.ड. 8 रवि गुर्जर ने जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि वह अपनी जॉच के लिए दिनॉक 8.2.2017 को रेल्वे अस्पताल, जोधपुर गया था । यह सही है कि डाक्टर परिहार ने उसकी ऑखे चैक की थी । डाक्टर परिहार ने उसे बोला था कि उसकी ऑखे कमजोर है । यह कहना गलत है कि वह दिनॉक 8.2.17 से 13.2.17 के मध्य डाक्टर परिहार से नही मिला हो । यह सही है कि आर्टिकल–1 प्रदर्श पी–3 में ए से बी, सी से डी व ई से एफ उसकी ऑखो के सम्बन्ध में इन्द्राज हैं । यह बात सही है कि प्रदर्श पी–30 में दिनॉक 8.2.17 के पश्चात डाक्टर परिहार द्वारा उसकी

ऑखो का परीक्षण करना अंकित नही हैं । यह कहना गलत है कि डाक्टर परिहार ने दिनॉक 8.2.17 को उसकी ऑखे चैककर उसे यह कहा हो कि आज आपकी ऑखो का वीजन सही नही आ रहा है, उसके अनुभव से वह लगातार दो तीन दिन तक चैक करूगॉ ताकि सही नतीजा आये उसके बाद ही मै आपको प्रमाण पत्र दुगॉ। यह कहना गलत है कि डाक्टर परिहार के यह कहने पर कि उसकी ऑखे कमजोर आ रही है तो उसे यह खतरा हुआ हो कि दो तीन दिन लगातार चैक करने पर भी अगर उसकी ऑखे का वीजन सही नही आया तो उसकी नौकरी खतरे में पड सकती हो । यह कहना गलत है कि वह दिनॉक 13.2.17 को साजिश रचकर डाक्टर परिहार से मिला हो । यह कहना गलत है कि 13.2.17 को वह जब डाक्टर परिहार से मिला तो उन्होने उसे यह कहा हो कि 8 तारीख के बाद तू उसे आज मिलने आया है जबकि उसने तुझे 9 व 10 तारीख को भी बुलाया था। यह कहना गलत है कि उस वक्त उसने डाक्टर परिहार को यह कहा हो कि उसके परेशानी आ गई है, उसके नजदीकी रिश्तेदार गॉव से आये हुए है और उनकी ऑखो में लेन्स लगवाना है और प्राईवेट अस्पताल वाले 30–35 हजार मॉग रहे है जो उसके रिश्तेदार नही दे सकते क्योकि वो फाईनेन्शियली कमजोर हैं। यह कहना गलत है कि उस वक्त उसने डाक्टर परिहार को यह कहा हो कि उसे यह पता लगा है कि आपके मित्र ऑखो का डाक्टर है जो आपके कहने से सस्ते में लगभग 10 हजार तक ऑखो का लेन्स लगा देगें और आपने पहले भी एक दो के लगवाये हैं । यह कहना गलत है कि उस वक्त डाक्टर परिहार ने यह कहा हो कि उसे वाकई कोई आदमी सही व गरीब तथा जरूरतमन्द होता है तो उसके लिए वह अपने मित्र जो ऑखो के डाक्टर है, के पास भेज देता है तो उसके कहने पर 10 हजार रूपये में ऑखो का लेन्स लगा देगा । यह कहना गलत है कि

उस वक्त उसने डाक्टर परिहार को बहुत हाथाजोडी की कि उसके रिश्तेदार बहुत गरीब है तथा उसके रिश्तेदार के भी अपने मित्र डाक्टर को कहकर 10 हजार रूपये में लेन्स लगवा दिजिये । यह कहना गलत है कि उस वक्त डाक्टर परिहार ने यह कहा हो कि तू अपने रिश्तेदार को उसके पास ले आना, उसे तसल्ली हो जायेगी कि आदमी सही है तो वह अपने दोस्त को जो ऑखो का डाक्टर है, को कहकर 10 हजार रूपये में ऑखो का लेन्स लगवा देगा और उस डाक्टर को कह दुगॉ कि इनसे 10 हजार रूपये ही लेना लेन्स के लिये । यह कहना गलत है कि उस वक्त उसने यह कहा हो कि वे अगर प्राईवेट अस्पताल में सीधा पैसा देगें तो वो ज्यादा ले लेगें तो मै पैसे आपको दुगॉ और आप डाक्टर साहब को दे देना और इनसे कह देना कि इनके लेन्स लगा दो, पैसे आ गये हैं । यह कहना गलत है कि उसने डाक्टर को यह कहा हो कि पैसो का इन्तजाम उसे ही करना है। यह कहना गलत है कि डाक्टर परिहार ने उसकी बात पर विश्वास कर कि किसी गरीब की मदद करनी है, इस उदेश्य से डाक्टर ने हॉ कर दी हो । यह कहना गलत है कि जब उसे यह तसल्ली हो गई कि डाक्टर परिहार ऑखो का लेन्स लगवाने के लिये और दूसरे डाक्टर को 10 हजार रूपये देने के लिए उसके द्वारा दिये गये 10 हजार रूपये लेकर उसे दे देगें तो वह सोची समझी साजिश के तहत सीबीआई जाकर झूठी रिपोर्ट दी हो । यह सही है कि सीबीआई कार्यालय में रिपोर्ट देने व सीबीआई कार्यालय में कार्यवाही होने के पश्चात तथा सीबीआई कार्यालय से बाहर आने के बाद डाक्टर के पास रूपये देने गया था । सीबीआई कार्यालय में रिपोर्ट देने के बाद प्रथम बार वह डाक्टर से मिलने अस्पताल गया था । यह सही है कि प्रदर्श पी–31 में डाक्टर द्वारा 10 हजार रूपये मांगने की बात नही लिखी है । यह सही है कि प्रदर्श पी–31 में उसके द्वारा ऑखो को

चैक करवाने तथा प्रमाण पत्र देने की बात नही लिखी है । यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–31 में उसके द्वारा दिनॉक 13.2.17 को लेन्स लगवाने वाली बात के सम्बन्ध में वार्ता हुई हो । यह सही है कि प्रदर्श पी–31 पर इस बात का कोई इन्द्राज नही है कि यह वार्ता किसने बनाई, किसके सामने बनाई, आवाजो की पहचान किसने की, कितने बजे बनाई, नमूना सील क्यो लगाया, साईन क्यो किये, गवाहो व परिवादी के समक्ष लिखी गई तथा गवाहो ने सुन समझकर अपने हस्ताक्षर किये हो, लिखा हुआ नही हैं । यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–31 अनुलिपि में यह उल्लेखित नही है कि उसमें रिकार्डेड आवाज की पहचान उसके द्वारा की गई हो। यह सही है कि अनुलिपि प्रदर्श पी–31 में यह उल्लेखित नही है कि यह अनुलिपि उसके सामने बनाई गई हो । यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–31 अनुलिपि को फेरबदल कर प्रकरण बनाने के लिये बनाया गया हो । यह सही है कि प्रदर्श पी–31 में गवाहो के परिचायात्मक आवाज की अनुलिपि नही हैं । गवाहो ने जो परिचय दिया था वह रिकार्ड हुआ था । यह सही है कि प्रदर्श पी–31 में वार्ता हूबहू नही है। यह कहना गलत है कि ट्रेप कार्यवाही के दौरान उसकेव डाक्टर परिहार के बीच हुई वार्ता उसके रिश्तेदार को डाक्टर परिहार के मित्र ऑखो के डाक्टर को लेन्स लगवाने के सम्बन्ध में पैसे दिये जाने से सम्बन्धित की हो । यह कहना गलत है कि उसने डाक्टर परिहार को अपने रिश्तेदार के लेन्स लगवाने के एवज में अन्य डाक्टर को देने के लिये पैसे दिये हो । यह सही है कि उसने उस वक्त डाक्टर परिहार को यह कहा था कि इस वक्त उसके पास केवल 8000/– रूपये है। यह सही है कि जब उसने डाक्टर परिहार के मांगने पर रूपये दिये तब उन्हे कहा था कि 2000/– रूपये सुबह दे दुगॉ । यह सही है कि डाक्टर परिहार ने यह कहा था कि ले आना, उसको अभी फोन कर देता है, वो दस

बजे फिट करके नक्की कर देगा । यह सही है कि डाक्टर परिहार से उसकी वार्तालाप के दौरान अन्य डाक्टर द्वारा लेन्स लगवाने के सम्बन्ध में बात हुई थी । यह कहना गलत है कि उसकी डाक्टर परिहार से उसके अन्य रिश्तेदार के लेन्स लगवाने के सम्बन्ध में ही वार्ता हुई हो । यह सही है कि प्रदर्श पी–35 पर इस बात का कोई इन्द्राज नही है कि यह वार्ता किसने बनाई, किसके सामने बनाई, आवाजो की पहचान किसने की, कितने बजे बनाई, नमूना सील क्यो लगाया, साईन क्यो किये, गवाहो व परिवादी के समक्ष लिखी गई तथा गवाहो ने सुन समझकर अपने हस्ताक्षर किये हो, लिखा हुआ नही हैं । यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–35 अनुलिपि में यह उल्लेखित नही है कि उसमें रिकार्डेड आवाज की पहचान उसके द्वारा की गई हो। यह सही है कि अनुलिपि प्रदर्श पी–35 में यह उल्लेखित नही है कि यह अनुलिपि उसके सामने बनाई गई हो । यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–35 अनुलिपि को फेरबदल कर प्रकरण बनाने के लिये बनाया गया हो । यह सही है कि अनुलिपि प्रदर्श पी–35 में गवाहो द्वारा बोली गई परिचायात्मक आवाज की अनुलिपि नही हैं । यह कहना गलत है कि सीबीआई द्वारा डाक्टर परिहार को पकडे जाने पर डाक्टर परिहार ने यह कहा हो कि न तो उसने रिश्वत के रूपये मॉगे है, न रिश्वत के रूपये लिए है, व दिनॉक 13.2.17 को परिवादी व डाक्टर परिहार के मध्य हुई वार्ता को भी पूर्ण रूप से बताया हो । यह कहना गलत है कि डाक्टर परिहार ने उस समय यह कहा हो कि उससे जो रूपये बरामद हुए है वे रिश्वत के रूपये नही है तथा परिवादी द्वारा उसके ऑखो के मित्र डाक्टर से परिवादी के रिश्तेदार के ऑखो के लेन्स लगवाने के लिए मित्र डाक्टर को देने के लिये दिये हो । यह कहना सही है कि डाक्टर परिहार ने पकडे जाने पर यह कहा था कि उसे झूठा फंसाया जा रहा हैं। यह कहना गलत है कि

डाक्टर परिहार ने मौके पर यह नही कहा हो कि उनसे गलती हो गई है तथा भविष्य में ऐसी गलती नही करेगें । यह कहना गलत है कि डाक्टर परिहार ने उसके द्वारा यह कहने पर कि उसके पास 8,000/– रूपये ही है तो उन्होने कहा कि 2,000/– रूपये वो अपने पास से दे दुगॉ, यह बात लेन्स के सम्बन्ध में हुई हो । यह कहना गलत है कि डाक्टर परिहार ने उसे फिटनेश सर्टिफिकेट देने के सम्बन्ध में नही कहा हो । यह सही है कि मेमोरी कार्ड को लिफाफे में डालकर उसके हस्ताक्षर कराये थे । यह सही है कि प्रदर्श पी–38 जो लिफाफा है जिसमें मेमोरी कार्ड डाला गया था, पर उसके हस्ताक्षर नही हैं । यह कहना गलत है कि डाक्टर परिहार को उसने साजिश के तहत विश्वास में लेकर कि उसे उनके मित्र डाक्टर से अपने रिश्तेदार के लेन्स लगवाने है और रूपये डाक्टर परिहार के माध्यम से उस डाक्टर को लेन्स के लिए देने है, इस प्रकार वह आश्वस्त हो गया कि डाक्टर उसके द्वारा 10 हजार रूपये लेन्स के लिए अन्य डाक्टर को देने के लिए ले लेगा तो उसने सीबीआई में झूठी रिपोर्ट देकर उसे झूठा फंसा कर उसने झूठे बयान दिये हो। यह कहना गलत है कि सीबीआई में उसका को परिचित हो तथा इससे पहले वह सीबीआई में गया हो । यह कहना गलत है कि उसके आईबी में कोई रिश्तेदार हो उनसे मिलकर उसने डाक्टर को फंसाने की बात की हो तो उन्होने सीबीआई के सिपाही को उसके पास भेजा, जिसके जरिये उसने यह पूरी झूठी कार्यवाही कराई हो ।

35/ पी.ड. 9 नरेन्द्र कुमार चौहान ने जिरह में कथन किया है कि सीबीआई की टीम के साथ जब डॉ परिहार के घर गये उस समय वह बाहर ही खडा था और परिवादी अन्दर गया था । यह सही है कि उसने परिवादी और मुल्जिम के बीच बात होते नहीं सुना, न उनके बीच की वार्ता को देखा । वह नहीं बता सकता कि परिवादी ने

आरोपी को किस बात के लिए रूपये दिये । यह सही है कि वह परिवादी व आरोपी को ट्रेप से पहले नहीं जानता, न उनकी आवाज सुनी तथा न ही उनकी आवाजों से परिचित था। यह कहना गलत है कि आरोपी को पकडा तब उसने कहा हो कि परिवादी ने उसे दूसरे डॉक्टर से लेन्स लगवाने के लिए दूसरे डॉक्टर को देने के लिए पैसे दिये है। यह सही है कि डॉ परिहार उस समय कह रहे थे कि उनको झूठा फंसाया है। यह सही है कि उसके मुख्य परीक्षण में बताया है कि 10–15 मिनट बाद शिकायतकर्ता डॉ बी आर परिहार के घर से बाहर आया और फोन करके निरीक्षक सीबीआई को यह बताया कि उन्होने 8000/– रूपये ले लिये है, उक्त वार्ता अनुलिपि प्रदर्श पी 35 में नहीं है। यह सही है कि अनुलिपि प्रदर्श पी 31 व पी 35 में अनुलिपि किसने बनाई, किसके समक्ष बनाई, कब बनाई, आवाजों की पहचान किसने की, कितने बजे बनाई, नमूना सील क्यों लगाई, हस्ताक्षर क्यों किये, गवाहों व परिवादी के समक्ष बनाई, गवाहों ने सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये, किस माध्यम से सुनकर बनाई ऐसा कोई पृष्ठांकन नहीं है। यह सही है कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 में अनुलिपि बनाते समय आवाजों की पहचान रवि गुर्जर ने की, उक्त तथ्य अंकित नहीं है। आज उसे याद नहीं है कि अनुलिपि प्रदर्श पी 35 में अन्य डॉक्टर से लेन्स लगवाने से सम्बन्धित वार्ता हो। गवाह ने अनुलिपि प्रदर्श पी 35 देखकर बताया कि इसमें परिवादी व डॉक्टर परिहार के मध्य अन्य डॉक्टर से लेन्स लगवाने व पैसे देने से सम्बन्धित वार्ता है। यह सही है कि प्रदर्श पी 31 में डॉ0 परिहार द्वारा 10,000/– रूपये की मांग की कोई वार्ता नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी 31 में ''रूपये'' शब्द की कोई वार्ता नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी 40 में डॉ0 परिहार से नमूना आवाज के लिए क्या शब्द बुलवाये गये थे, वे शब्द उल्लेखित नहीं है। यह सही है कि रिकॉर्डेड

आवाज को सुनकर उसकी कोई अनुलिपि नहीं बनाई थी। आज उसे याद नहीं है कि दिनांक 15.02.2017 को वह जब सीबीआई कार्यालय गया तब कार्यालय के गेट पर रखे रजिस्टर में हस्ताक्षर किये थे या नहीं। यह सही है कि डॉ0 परिहार ने राशि लेना स्वीकार किया था तथा रिश्वत राशि लेना स्वीकार नहीं किया था । यह भी कहना गलत है कि डॉ0 परिहार ने उससे गलती होना भी स्वीकार नहीं किया हो। यह कहना गलत है कि उसने सीबीआई वालों के कहने से झूठे बयान दिये हो।

36/ इस गवाह के बारे विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि उक्त गवाह के कथन से यह स्पष्टतः साबित हो जाता है कि मुलजिम ने परिवादी से 10,000/– रूपये की मॉग नही की एवं न ही इस बारे में कोई गवाह ने स्पष्टतः कथन किया है ।

37/ पी.ड. 10 रमेश चन्द्र सोतवाल ने जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि जब प्रथम बार परिवादी को डॉ0 परिहार के पास हॉस्पिटल भेजा तो उसने डॉक्टर परिहार व परिवादी को बातचीत करते नहीं देखा और न ही उनकी बातचीत कानों से सुनी । यह सही है कि परिवादी को रात को जब डॉ0 परिहार के घर भेजा तब उसने परिवादी और आरोपी के मध्य रूपयों का लेन–देन होते नहीं देखा तथा न ही उनके मध्य हुई बातचीत को अपने कानों से सुना, न ही बातचीत करते देखा। यह सही है कि वह डॉ0 बी आर परिहार और परिवादी को ट्रेप कार्यवाही के पहले से नहीं जानता था, न ही इन दोनों की आवाजों से परिचित था। यह सही है कि रात को जब परिवादी को डॉ0 परिहार के घर भेजा तब उस रिकॉर्डेड वार्तालाप में डॉ0 परिहार की अन्य डॉक्टर से लेन्स लगवाने के सम्बन्ध में और पैसों के सम्बन्ध में वार्तालाप हुई थी। उसे ध्यान नहीं है कि ट्रेप कार्यवाही के दौरान डॉ0 परिहार ट्रेप अधिकारी को कह रहे हो कि उसे झूठा

फंसाया जा रहा है, हो सकता है कहा हो । वह इस प्रकरण के अलावा सीबीआई के अन्य प्रकरण में भी गवाह रहा है । यह सही है कि अनुलिपि प्रदर्श पी 31 व पी 35 में अनुलिपि किसने बनाई, किसके समक्ष बनाई, कब बनाई, आवाजों की पहचान किसने की, कितने बजे बनाई, नमूना सील क्यों लगाई, हस्ताक्षर क्यों किये, गवाहों व परिवादी के समक्ष बनाई, गवाहों ने सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये, किस माध्यम से सुनकर बनाई ऐसा कोई पृष्ठांकन नहीं है। उसे ध्यान नहीं कि डॉ0 परिहार ने ट्रेप अधिकारी को यह कहा हो कि उसने न तो उसने रूपये की मांग की और न उसने कोई रूपये लिये है, अन्य डॉक्टर से लेन्स लगवाने के लिए उसको देने के लिए रूपये लिये है। यह सही है कि प्रदर्श पी 5 नमूना आवाज पहचान कार्यवाही के दौरान श्याम किशोर को दोनों रिकॉर्डिंग की अनुलिपि भी दी थी। यह सही है कि प्रदर्श पी 41 फर्द नमूना आवाज में डॉ0 परिहार से क्या बुलवाया गया था उन शब्दों का उल्लेख नहीं है। नमूना आवाज में डॉ0 परिहार का नाम, व्यक्तिगत परिचय ही रिकॉर्ड किया था। यह सही है कि उसने अपने मुख्य परीक्षण में सीबीआई के पूछने पर डॉ0 परिहार का शौक्ड होना बताया है उसका यह कारण भी हो सकता है कि डॉ0 परिहार को एकदम अचम्भा लगा हो कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है। यह हो सकता है कि डॉ0 परिहार ने गलती होना इसलिए कहा हो कि उन्होने परिवादी के अन्य डॉक्टर से लेन्स लगवाने और उसे पैसे देने के सम्बन्ध में कहा हो।

38/ पी.ड. 1 श्याम किशोर ने जिरह में कथन किया है कि मरीज ओपीडी पर्ची व मेडिकल मीमो लेकर उसके पास आया जिसका उसने सम्बन्धित रजिस्टर में इन्द्राज किया तथा मरीज को पेशाब की जांच कराने हेतु प्रयोगशाला में भेजा । प्रयोगशाला से यूरीन की रिपोर्ट उसके पास आई तब उसने अभियुक्त बी आर परिहार को वहां

बुलाया। यह सही है कि उससे आवाज की पहचान करवाई उस समय उसे रिकॉर्डेड आवाज की अनुलिपि भी पढने हेतु दी थी। उसने दानों अनुलिपियों को पढा था। यह सही है कि अनुलिपियों में अभियुक्त व परिवादी की आवाज होना लिखा हुआ था। वह दिनांक 31.05.2017 को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के निर्देश पर सीबीआई कार्यालय गया था। वह भानवेन्द्र चौधरी जिस कमरे में बैठे थे, उनके कमरे में गया। इस कार्यवाही के दौरान वह और श्री भानवेन्द्र ही थे। यह कहना गलत है कि सीबीआई वालों ने उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की हो और मीमो पर उसके हस्ताक्षर करवाये हो। यह कहना गलत है कि सीबीआई वालों ने उसे अनुलिपि बताई थी तथा अनुलिपि में अभियुक्त की आवाज को इंगित किया हुआ था, इस आधार पर उसने अभियुक्त की आवाज होना पहचान किया हो । यह कहना गलत है कि उससे आवाज की पहचान की कोई कार्यवाही नहीं करवाई हो और अनुलिपि के आधार पर उसने अभियुक्त की आवाज होना पहचान किया हो। यह सही है कि आवाज की पहचान करते समय उसे 7–8 व्यक्तियों की अलग–अलग आवाजें नहीं सुनाई।

39/ पी.ड. 2 बी. मजुमदार ने जिरह में कथन किया है कि वह स्वयं अभियुक्त डॉ0 बी आर परिहार को पदच्यूत करने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं हैं । यह सही है कि वह स्वयं अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी करने के लिए सक्षम नहीं हैं । यह सही है कि अभियोजन स्वीकृति जारी करने के लिए जो प्रक्रिया उसने आज न्यायालय में बताई है, उसका उल्लेख प्रदर्श पी 6 में नहीं है। यह सही है कि अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी 6 में रेलमंत्री द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु अंतिम निर्णय लिया गया, यह उल्लेखित नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी 6 में यह उल्लेखित नहीं है कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा रेलमंत्री को अभियोजन स्वीकृति जारी

करने हेतु अधिकृत किया । यह सही है कि प्रदर्श पी 6 में इस बात का भी उललेख नहीं है कि उसके द्वारा सीबीआई रिपोर्ट व दस्तावेज देखकर प्रदर्श पी 6 तैयार करवाई गई। सीबीआई द्वारा जो दस्तावेज भेजे गये उसमें प्रारूप अभियोजन स्वीकृति हो सकता है। यह कहना गलत है कि उसने सीबीआई के कहे अनुसार अभियोजन स्वीकृति जारी की हो स्वतः कि उसने आदेश की अनुपालना में जारी की थी।

40/ पी.ड. 3 डॉ0 रूचि जैन ने जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि किसी भी मरीज की एक ही बीमारी के सम्बन्ध में अलग– अलग राय हो सकती है।

41/ पी.ड. 4 डॉ0 मंगला देवी ने जिरह में कथन किया है कि प्रदर्श पी 15 पर डॉ0 बी आर परिहार के हस्ताक्षर नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी 15 एमईडी सी–9 फाईनल कर कर्मचारी को जारी नहीं किया गया था । यह सही है कि प्रदर्श पी 10 पर ग्लास पॉवर अंकित नहीं है । यह सही है कि प्रदर्श पी 10 जो उसके द्वारा आधारित प्रमाण पत्र है तथा प्रदर्श पी 12 जो डॉ0 आभा की पर्ची आई रिपोर्ट में आई विजन विदआउट ग्लास में अन्तर है। यह सही है कि कई बार आंख जांच करने में कोई संदेह होता है तो उसकी पुनः जांच की जाती है।

42/ पी.ड. 6 डा. के. श्रीधर ने जिरह में कथन किया है कि अगर सम्बन्धित डाक्टर एग्जामिनेशन के बाद तीन दिवस में किसी नतीजे पर नही पॅहुचे तो उसके द्वारा लिया गया अतिरिक्त समय सम्बन्धित कर्मचारी की डयूटी में ही माना जायेगा ।

43/ पी.ड. 11 दीपक कुमार ने जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि सीबीआई से आवाज परीक्षण हेतु जो सामग्री प्राप्त हुई थी वह अग्रेषण पत्र के साथ आया था । यह सही है कि अग्रेषण पत्र में वार्तालाप किस किस की व किस सन्दर्भ की है, उसका उल्लेखित था।

दोनो वार्तालाप में एक सत्यापन की व एक लेनदेन के समय की होना अग्रेषण पत्र में बताया था तथा इनकी अनुलिपिया भी साथ में भेजी गई थी । एक मेमोरी कार्ड में डाक्टर की नमूना आवाज था उसका भी उल्लेख था । यह कहना गलत है कि उसने सीबीआई के अग्रेषण पत्र में दर्शाये नाम के अनुसार अपनी रिपोर्ट बिना जॉच के सीबीआई ने जैसी चाही वैसी दे दी हो ।

44/ पी.ड. 12 राजेन्द्र कुमार ने जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि परिवादी को जब सत्यापन के लिए भेजा तब वे भी साथ गये थे। वे लोग बाहर खडे थे। यह सही है कि अनुलिपि प्रदर्श पी 31 में अभियुक्त द्वारा 10,000/– रूपये मांगने का उल्लेख नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी 31 में रूपये शब्द का भी उल्लेख नहीं है स्वतः कहा कि सांकेतिक रूप से रूपये लाने के लिए कहा था। यह सही है कि अनुलिपि प्रदर्श पी 31 में क्या लाने में रूपये का उल्लेख नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी 32 वैरिफिकेश रिपोर्ट प्रदर्श पी 31 अनुलिपि के बाद बनाई थी। यह सही है कि प्रदर्श पी 32 में जी से एच भाग में जो लिखा है वह प्रदर्श पी 31 में नहीं लिखा है स्वतः कहा कि प्रदर्श पी 32 के जी सें एच भाग में जो लिखा है वह प्रदर्श पी 31 शिकायत सत्यापन के दौरान तैयार की गई अनुलिपि व शिकायत प्रदर्श पी 30 पर उसकेद्वारा निकाला गया निष्कर्ष था। यह सही है कि शिकायत की पुष्टि के लिए सत्यापन किया जाता है। उसने कार्यवाही इसलिए ड्रोप नहीं की क्योंकि सत्यापन के बाद में रिश्वत की मांग की पुष्टि हो रही थी।

45/ यह सही है कि प्रदर्श पी 31 पर इस बात का कोई इन्द्राज नही है कि यह वार्ता किसने बनाई, किसके सामने बनाई, आवाजो की पहचान किसने की, कितने बजे बनाई, नमूना सील क्यो लगाया, साईन क्यो किये, गवाहो व परिवादी के समक्ष लिखी गई तथा गवाहो ने सुन

समझकर अपने हस्ताक्षर किये हो, लिखा हुआ नही हैं । यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 31 अनुलिपि में यह उल्लेखित नही है कि उसमें रिकार्डेड आवाज की पहचान शिकायतकर्ता द्वारा की गई हो । यह सही है कि अनुलिपि प्रदर्श पी 31 में यह उल्लेखित नही है कि यह अनुलिपि उसके सामने बनाई गई हो । यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 31 अनुलिपि को फेरबदल कर प्रकरण बनाने के लिये बनाया गया हो । यह सही है कि प्रदर्श पी 31 में गवाहो के परिचायात्मक आवाज की अनुलिपि नही हैं । यह कहना गलत है कि उसने प्रदर्श पी 31 में जो बातें नहीं लिखी उन तथ्यों को दुरूस्त करने के लिए उसने प्रदर्श पी 32 में झूठा लिखा हो।

46/ यह सही है कि उसने आरोपी और परिवादी के बीच कोई रूपयों का लेन–देन होते नहीं देखा, न ही इन दोनों के बीच की कोई वार्तालाप सुनी । यह सही है कि प्रदर्श पी 35 में ''परिवादी द्वारा उसे फोन कर रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त कर ली है'' सूचित करने की बात उल्लेखित नहीं है। यह सही है कि अनुलिपि प्रदर्श पी 35 में अन्य डॉक्टर से लेन्स डलवाने की बात हुई है, जो लिखी हुई है। यह सही है कि परिवादी व मुल्जिम के मध्य प्रदर्श पी 35 में ''8000/– रूपये अभी है, बाकी कल दे देना, उसकेपास से भेज दूंगा'' लिखा है। यह सही है कि प्रदर्श पी 35 में यह भी लिखा है कि ''मैं उसको फोन कर दूंगा'' । यह सही है कि प्रदर्श पी 35 पर इस बात का कोई इन्द्राज नही है कि यह वार्ता किसने बनाई, किसके सामने बनाई, आवाजो की पहचान किसने की, कितने बजे बनाई, नमूना सील क्यो लगाया, साईन क्यो किये, गवाहो व परिवादी के समक्ष लिखी गई तथा गवाहो ने सुन समझकर अपने हस्ताक्षर किये हो, लिखा हुआ नही हैं । यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 35 अनुलिपि में यह उल्लेखित नही है कि उसमें रिकार्डेड आवाज की

पहचान शिकायतकर्ता द्वारा की गई हो । यह सही है कि अनुलिपि प्रदर्श पी 35 में यह उल्लेखित नही है कि यह अनुलिपि उसके सामने बनाई गई हो । यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 35 अनुलिपि को फेरबदल कर प्रकरण बनाने के लिये बनाया गया हो । यह सही है कि प्रदर्श पी 35 में गवाहो के परिचायात्मक आवाज की अनुलिपि नही हैं । गवाहो ने जो परिचय दिया था वह रिकार्ड हुआ था ।

47/ यह कहना गलत है कि मुलजिम को पकडने पर उसने सबसे पहले यह कहा हो कि उसने न तो पैसे मांगे है और न ही लिये है। यह कहना गलत है कि अभियुक्त बी आर परिहार ने यह कहा हो कि शिकायतकर्ता अपने किसी रिश्तेदार के उसके किसी अन्य मित्र डॉक्टर से लेन्स लगवाने के लिए उसके पास आया था, तब उसने कहा हो कि शाम को अपने रिश्तेदार को लेकर घर आ जाना और इसी सम्बन्ध में उसने सुबह बात की हो। यह कहना गलत है कि डॉक्टर ने उसे यह भी कहा हो कि परिवादी ने 8000/– रूपये लेन्स लगाने के लिए लाये हो, बाकी रूपये वह दे देगा, तुम उसे बाद में दे देना । यह कहना भी गलत है कि डॉक्टर ने उसे यह कहा हो कि वह लेन्स लगाने के लिए उस दूसरे डॉक्टर को फोन कर दूंगा। यह कहना गलत है कि डॉक्टर ने घबराकर यह नहीं कहा हो कि उससे गलती हो गई है। यह कहना गलत है कि डॉक्टर ने बार बार यह कहा हो कि उसे झूठा फंसा रहे है। यह कहना गलत है कि डॉक्टर ने फर्द बरामदगी पर हस्ताक्षर करने से यह कह कर मना किया हो कि उसमें गलत तथ्य लिखे हो और उसका स्पष्टीकरण नहीं लिखा हो और उसे प्रभाव में लेकर हस्ताक्षर करवाये हो। यह कहना गलत है कि उसने झूठा केस बनाने के उद्देश्य से झूठी कार्यवाही की हो। यह सही है कि प्रदर्श पी 41 में नमूना आवाज के समय आरोपी से क्या नमूना शब्द बुलवाये गये, उसका उल्लेख नहीं है और न ही उसने उन

नमूना शब्दों की कोई अनुलिपि बनाई। यह कहना गलत है कि उसने प्रदर्श पी 41 में वर्णित कार्यवाही गलत की हो।

48/ पी.ड. 13 भवरेन्द्र चौधरी ने जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि सत्यापन अनुलिपि प्रदर्श पी–31 में अभियुक्त द्वारा परिवादी से 10000/– रूपये की मॉग का कोई वार्ता नही है अजखुद कहा कि परिवादी द्वारा दी गई शिकायत में 10,000/– रूपये या किन्ही दो डाक्टरो की रिपोर्ट का उल्लेख किया था तथा मॉग सत्यापन अनुलिपि प्रदर्श पी–31 में भी इन्ही तथ्यो का उल्लेख हैं । यह सही है कि प्रदर्श पी–31 में परिवादी की फिटनेश बाबत भी कोई उल्लेख नही हैं। यह सही है कि सत्यापन करवाये जाने के बाद सत्यापन की रिपोर्ट बनती हैं । यह सही है कि प्रदर्श पी–32 में उल्लेखित जी से एच भाग प्रदर्श पी–31 सत्यापन की अनुलिपि में नही लिखा हैं । स्वतः कहा कि बातचीत से रिश्वत की मॉग जाहिर हो रही हैं । यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–31 अनुलिपि बनने के बाद यह कार्यवाही ही समाप्त कर देनी हो । शिकायत की प्रथम दृष्टया सत्यता की जॉच करने हेतु सत्यापन किया जाता हैं । यह कहना सही है कि आवाज की पहचान करवाते वक्त श्री श्याम किशोर को अनुलिपि की प्रति दी गई थी। यह सही है कि जो अनुलिपि दी गई थी उसमें वार्ता का विवरण लिखा हुआ था तथा वार्ताकर्ता का नाम भी लिखा हुआ था । यह सही है कि पत्र प्रदर्श पी–48 के जरिये जो मेमोरी कार्ड परीक्षण हेतु भेजे गये थे उसमें वार्ता करने वाले का नाम व किसकी आवाज है, का उल्लेख किया हुआ था । यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–48 के अनुरूप ही आवाज परीक्षण करने वाले ने अपनी रिपोर्ट दी हो जो उसने प्राप्त की हो । यह सही है कि प्रदर्श पी–35 की वार्ता के दौरान परिवादी व मुलजिम के बीच किसी अन्य डाक्टर से लेंस लगवाने के सम्बन्ध में वार्ता हुई है, स्वतः कहा कि यह सामान्य बातचीत थी । यह कहना

गलत है कि उसने सही तथ्यों को छुपाते हुए रिकार्ड पर नही लिया और गलत आरोप पत्र अभियुक्त के विरूद्ध पेश किया हो । यह कहना भी गलत है कि उसने सही अनुसंधान नही किया हो । यह कहना गलत है कि उसने गवाहो के कथन केस बनाने के उदेश्य से मनमर्जी से लिखे हो । यह कहना गलत है कि उसने गवाह नरेन्द्र कुमार का बयान प्रदर्श डी–1 उसने उसकी मर्जी से लिखे हो और उसके कहेनुसार नही लिखे हो। अन्त में अभियुक्त को सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त करने का निवेदन किया है ।

49/ उपरोक्त तर्को को सुना गया एवं अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सादर अवलोकन किया जिनसे मैं सादर सहमत हूॅ। प्रकरण में लोक अभियोजक ने अपनी बहस में यह तर्क दिया है कि परिवादी पी.ड. 8 रवि गुर्जर को अपना सामयिक मेडीकल करवाना था जिस बाबत परिवादी ने अभियुक्त डा. बी.आर.परिहार से सम्पर्क किया तब डा. बी.आर.परिहार द्वारा मेडीकल परीक्षण में आरोग्य प्रमाण पत्र देने बाबत 10,000/– रूपये की मॉग की थी इस बाबत अभियोजन पक्ष की ओर से परिवादी स्वयं पी.ड. 8 रवि गुर्जर ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 08.02.2017 को रेल्वे डिविजनल हॉस्पिटल जोधपुर में पिरियोडिकल एग्जामिनेशन के लिए उपस्थित हुआ था । पिरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान मूत्र की जांच व आंखों की जांच तथा अन्य जांच की जाती है। उसका पिरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन बी आर परिहार जो उस समय सीनियर डीएमओ के पद पर तैनात थे, के द्वारा किया जा रहा था । उसके द्वारा उपरोक्त आथोरिटी लेटर सम्बन्धित बाबू को देने पर उस बाबू ने उसे मूत्र जांच हेतु सम्बन्धित विभाग में भेजा । वहां पर मूत्र जांच करने के बाद उसे वापस इस निर्देश के साथ वापस कर दिया कि शाम को 3 बजे आंखों की जांच हेतु आपको अस्पताल में उपस्थित

होना है। तद्नुसार वह दिनांक 08.02.2017 को शाम को 3 बजे आंखों की जांच हेतु रेल्वे अस्पताल जोधपुर के डार्क रूम में जहां आंखों की जांच होती है, पहुंचा । उसकी आंखों की जांच डॉ0 बी आर परिहार द्वारा की जानी थी। वह डॉ0 बी आर परिहार से मिला तो उन्होने उसे अगले दिन दिनांक 09.02.2017 को अस्पताल आने को कहा था । तद्नुसार वह दिनांक 09.02.2017 को रेल्वे अस्पताल जोधपुर पहुंचा, किन्तु उसे फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया गया । उसके बाद वह दिनांक 10.02.2017 को रेल्वे अस्पताल जोधपुर गया तथा डॉ0 बी आर परिहार द्वारा उसकी आंखों की जांच कर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। यद्यपि 10.02.2017 को उसकी आंखों की जांच की गई थी एवं उसकी आंखे कमजोर बताई गई थी। वह अगले दिन 11.02.2017 को पुनः रेल्वे अस्पताल जोधपुर गया तथा उसकी आंखों का परीक्षण नहीं किया, क्योंकि दिनांक 12.02.2017 को रविवार होने के कारण छुट्टी का दिन था इसलिए दिनांक 13.02.2017 को वह रेल्वे अस्पताल जोधपुर में डॉ0 बी आर परिहार के पास गया तो उन्होने उससे कहा कि वह रात के 8 बजे उनसे आकर घर पर मिले। डॉ0 बी आर परिहार के कहे अनुसार वह रात 8 बजे उनके घर जो बंगला नम्बर डी–31 डीआरएम ऑफिस रोड पर स्थित है, पर पहुंचा तथा डॉ0 बी आर परिहार से मिला। डॉ0 बी आर परिहार ने उसे बताया कि उसके पास मेडिकल फिट होने के दो तरीके है, पहला– वह अपने जान–पहचान के किन्ही दो सरकारी डॉक्टरों से अपनी आंखों की सही मेडिकल रिपोर्ट बनवाकर ले आउ या दूसरा– वह 10,000/– रूपये बतौर रिश्वत उन्हें दे तो वे उसे मेडिकल फिट दे देंगे तथा उसे अगले दिन दिनांक 14.02.2017 को बुलाया। क्योंकि उसके पास जान पहचान का कोई भी सरकारी डॉक्टर नहीं था तो वह अपनी आंखों का फिटनेस सर्टिफिकेट दो सरकारी डॉक्टरों से नहीं बनवा पाया तथा

क्योंकि वह 10,000/— रूपये रिश्वत भी देना नहीं चाहता था इसलिए उसने डॉक्टर बी आर परिहार द्वारा 10,000/— रूपये रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दिनांक 14.02.2017 को सीबीआई ऑफिस में की जो प्रदर्श पी 30 है। प्रदर्श पी 30 पर ए से बी भाग में उसके हस्ताक्षर है।

50/ उसकी उपरोक्त शिकायत को सत्यापन हेतु निरीक्षक राजेन्द्र कुमार को दी गई । श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा उपरोक्त शिकायत को पढा तथा शिकायत के सत्यापन हेतु स्वतंत्र गवाह के रूप में रमेशचन्द्र सोतवाल को बुलाया । रमेश चन्द्र ने स्वेच्छिक गवाह बनने की स्वीकृति दी थी । इसके पश्चात् श्री राजेन्द्र कुमार निरीक्षक ने एक डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में एक नया मैमोरी कार्ड डालकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चलाया तथा इस बात की पुष्टि की कि मैमोरी कार्ड खाली है, संतुष्ट होने के पश्चात् उक्त मैमोरी कार्ड में वॉयस रिकॉर्डर की सहायता से स्वतंत्र गवाह रमेशचन्द्र सोतवाल की परिचयात्मक आावज रिकॉर्ड की तथा उक्त वॉयस रिकॉर्डर उसे सुपुर्द कर दिया । इसके बाद वे सभी रेल्वे अस्पताल जोधपुर शाम करीब 4.45 पर पहुंचे। निरीक्षक राजेन्द्र कुमार व स्वतंत्र गवाह रमेशचन्द्र सोतवाल रेल्वे अस्पताल जोधपुर के बाहर ही खडे रह गये तथा वह डॉ0 बी आर परिहार से मिलने के लिए उनके चैम्बर के बाहर इंतजार करने लगा किन्तु करीब 6 बजे तक इंतजार करने के बाद वह डॉ0 बी आर परिहार से नहीं मिल सका तो वह उनके चैम्बर के बाहर से उठकर सीबीआई टीम के पास आ गया तथा निरीक्षक राजेन्द्र कुमार को इस सम्बन्ध में बताया तो उन्होने कहा कि आप पुनः डॉ0 बी आर से परिहार से मिलने की कोशिश करो तो वह करीब 6.15 बजे पुनः अस्पताल के अन्दर गया । निरीक्षक राजेन्द्र कुमार ने उसे पुनः वॉयस रिकॉर्डर चालू करके दे दिया । रेल्वे अस्पताल के अन्दर जाने पर वह

डॉ0 बी आर परिहार से मिला तो उन्होने उसे फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में पूछा तथा फिटनेस सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा तो उसने कहा कि वह फिटनेस सर्टिफिकेट ला नहीं पाया है तो उन्होने उससे कहा वे खुद मेडिकल सर्टिफिकेट का इंतजाम अपनी जान पहचान के डॉक्टरों से कर देंगे, जिसके लिए उन्होने उससे 10,000/– रूपये रिश्वत की मांग की, जिसे लेकर उन्होने उसे अपने घर पर रात को 8 बजे बुलाया था। यह बातचीत करने के बाद वह सीबीआई टीम के पास बाहर आ गया, बाहर पहुंचने पर उसके पास मौजुद वॉयस रिकॉर्डर उसने निरीक्षक राजेन्द्र कुमार को दे दिया, जिसे लेने के बाद उन्होने बन्द कर दिया। उपरोक्त वॉयस रिकॉर्डर में दर्ज आवाजों को सीबीआई ऑफिस लालसागर में जाकर सुना गया तथा उनकी अनुलिपि प्रदर्श पी 31 बनाई गई जिसमें उसकी स्वयं की तथा डॉ0 बी आर परिहार की आवाजों की पहचान उसके द्वारा की गई थी। अनुलिपि प्रदर्श पी 31 के प्रत्येक पेज पर ए से बी भाग में उसके हस्ताक्षर है। उपरोक्त कार्यवाही का एक मीमो प्रदर्श पी 32 बनाया गया, जिसके प्रत्येक पेज पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

51/ इसके पश्चात् एक अन्य स्वतंत्र गवाह श्री नरेन्द्र कुमार चौहान जो जीवन बीमा निगम जोधपुर में कार्यरत थे, को भी बुलाया गया । उनके ऑफिस में पहुंचने पर उसका परिचय श्री नरेन्द्र कुमार चौहान व सीबीआई टीम के अन्य सदस्यों से करवाया गया । स्वतंत्र गवाह नरेन्द्र कुमार चौहान को उसके द्वारा दिया गया शिकायत पत्र दिखाया गया जिसको पढकर व समझकर नरेन्द्र कुमार चौहान ने सीबीआई कार्यवाही में सम्मिलित होने बाबत् हस्ताक्षर किये । उसके बाद उसने निरीक्षक राजेन्द्र कुमार द्वारा मांगे जाने पर डॉक्टर बी आर परिहार को रिश्वत के रूप मे दिये जाने वाले 8,000/– रूपये जो दो–दो हजार रूपये के 4 नोट थे, दिये, क्योंकि उस वक्त उसके पास

8000/– रूपये ही थे। उन नोटों के नम्बरों को गवाहों द्वारा नोट किया गया। इसके पश्चात् निरीक्षक राजेन्द्र कुमार ने ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाले फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट के प्रयोग को दृष्टांत देकर समझाया । उसके द्वारा दिये गये उपरोक्त नोटों पर भी फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया । स्वतंत्र गवाह रमेशचन्द्र सोतवाल द्वारा उसकी तलाशी ली गई जिसमें रूमाल और मोबाईल उसके पास छोडा गया । इसके बाद स्वतंत्र गवाह रमेशचन्द्र सोतवाल ने रिश्वत में दी जाने वाली राशि उसकी पहनी हुई जिंस पेन्ट की दाहिनी जेब में रख दी। उन्होने आठ हजार रूपये रखने के बाद अपने हाथ साबुन लगाकर धो लिये। तत्पश्चात् वॉयस रिकॉर्डर में एक नया मैमोरी कार्ड स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में डाला गया । उपरोक्त मैमोरी कार्ड को चैक करने के बाद उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान की परिचयात्मक आवाज उक्त मैमोरी कार्ड में दर्ज की गई तथा उसे भी वॉयस रिकॉर्डर चलाने के बारे में समझाया गया । इस कार्यवाही का एक मीमो प्रदर्श पी 33 बनाया गया जिसके प्रत्येक पेज पर ए से बी भाग में उसके हस्ताक्षर है। इसके पश्चात् श्री राजेन्द्र कुमार निरीक्षक के निर्देश पर वह डॉ0 बी आर परिहार के कहे अनुसार रात 8 बजे डीआरएम ऑफिस के सामने स्थित उनके आवास नम्बर डी 31 पर पहुंचा । निरीक्षक राजेन्द्र कुमार द्वारा उसे यह निर्देश दिया गया कि डॉ0 बी आर परिहार के द्वारा मांगे जाने पर ही वह रिश्वत की राशि उसे सुपुर्द करे तथा स्वतंत्र गवाहान को निर्देश दिया कि वो रिश्वत राशि के लेन–देन के दौरान आस पास ही छिपकर रहेंगे तथा उसे यह निर्देश दिया कि लेन–देन पूर्ण होने पर वह अपना चश्मा उतारकर या निरीक्षक राजेन्द्र कुमार के मोबाईल नम्बर पर फोन पर लेन–देन पूर्ण होने के बारे में अवगत करवाऊ। निरीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा उसे आकस्मिक जरूरत के लिए 2000/– रूपये भी दिये

गये। डॉ0 बी आर परिहार के घर जाने से पूर्व दोनों स्वतंत्र गवाहान ने भी अपनी आपस में तलाशी ली थी।

52/ करीब 8 बजे वह बी आर परिहार के घर के गेट के पास गया तथा घण्टी (कॉलबेल) बजाई। कॉलबेल बजाने पर डॉ0 बी आर परिहार द्वारा दरवाजा खोला गया तथा उससे बातचीत की तथा उसे बाहर जाकर एक बार और सोचने के लिए कहा कि पैसे देने है अथवा नहीं। इसके पश्चात् वह थोडी देर के लिए बाहर आ गया तथा निरीक्षक राजेन्द्र कुमार से मिला जिन्होने उससे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर ले लिया तथा पुनः चालू करके उसे दे दिया तथा इसके बाद वह पुनः डॉ बी आर परिहार के पास गया । मिलने पर डॉ0 बी आर परिहार ने कहा कि वह पैसे ले आया अथवा नहीं। इस पर उसने कहा कि अभी तो उसके पास 8,000/— रूपये ही है तो उन्होने कहा कि 2,000/— रूपये सुबह दे देना, मैं तुम्हे फिटनेस सर्टिफिकेट दे दूंगा। इस पर उसने उसके पास रखे हुए 8,000/— रूपये डॉ बी आर परिहार को दे दिये जो उन्होने अपनी पहने हुए जिंस पेन्ट की दाहिनी जेब में रख लिये तथा घर के अन्दर चले गये। इसके पश्चात् वह घर से बाहर आया और निरीक्षक राजेन्द्र कुमार को उसके स्वयं के मोबाईल नम्बर 7742656697 से कॉल किया । उसके द्वारा किये कॉल सुनते ही निरीक्षक राजेन्द्र कुमार, सीबीआई टीम मय स्वतंत्र गवाहान वहां पर पहुंचे , तो उसने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर जो उसके पास था उनको सुपुर्द कर दिया, जिसको उन्होने बन्द कर दिया तथा उससे डॉ0 बी आर परिहार की पहचान करवाई। उसके द्वारा पहचान करने पर डॉ0 परिहार को पहचान जाहिर करने के लिए कहा जिस पर उन्होने अपना नाम डॉ0 बी आर परिहार होना बताया । उस वक्त डॉ0 बी आर परिहार द्वारा अपने पहने हुए पेन्ट को बदलकर पायजामा पहन लिया था। घर में अन्दर घुसने पर डॉ0 परिहार को रिश्वत के बारे में

पूछने पर डॉ0 परिहार ने कहा कि उनसे गलती हो गई है तथा भविष्य में वे ऐसी गलती नहीं करेंगे। तत्पश्चात् डॉ0 परिहार द्वारा पहना गया पेन्ट जो उनके घर के एक कमरे पर खूंटी पर टंगा हुआ था, को चैक किया गया उसमें से उसके द्वारा दिये गये उपरोक्त 8,000/– रूपये स्वतंत्र गवाह रमेशचन्द्र सोतवाल द्वारा निकाले गये तथा उनको पूर्व में लिखे गये नोटों के नम्बरों से मिलान करने पर पाया कि ये वही नम्बरों के नोट थे। इसके पश्चात् एक गिलास में सादा पानी लेकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया । उपरोक्त घोल में डॉ0 बी आर परिहार की दांये हाथ की अंगुलियों को डुबोने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया । उपरोक्त दांये हाथ के धोवन को दो शीशियों में भरकर लेबल लगाकर सीलचेपा किया गया । इसी प्रकार पुनः दूसरे गिलास में सादा पानी लेकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया । उपरोक्त घोल में डॉ0 बी आर परिहार की बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया । उपरोक्त बांये हाथ के धोवन को दो शीशियों में भरकर लेबल लगाकर सीलचेपा किया गया । तत्पश्चात् रिश्वत राशि के लेन–देन के दौरान डॉ0 बी आर परिहार द्वारा पहने गये जिंस के पेन्ट की दाहिनी जेब का धोवन लिया गया । धोवन लेने पर उसका रंग गुलाबी हो गया । उपरोक्त धोवन को दो शीशियों में भरकर लेबल लगाकर सीलचेपा किया गया। अभियुक्त बी आर परिहार के दांये हाथ के धोवन को जिन शीशियों में भरा गया था वह आर्टिकल 6 व 7 है । अभियुक्त बी आर परिहार के बांये हाथ के धोवन को जिन शीशियों में भरा गया था वह आर्टिकल 8 व 9 है तथा अभियुक्त बी आर परिहार के पहने हुए पेन्ट की दाहिनी जेब के धोवन को जिन शीशियों में भरा गया था वह आर्टिकल 10 व 11 है। डॉ0 बी आर परिहार द्वारा दिनांक 14.02.2017 को घटना के समय जींस का पेन्ट पहना हुआ था वह आर्टिकल 12 है तथा जिस

थैली में पेन्ट को सील किया गया था वह थैली प्रदर्श पी 34 है। रिश्वत राशि के लेन–देन के दौरान उसके व डॉ0 बी आर परिहार के बीच हुई बातचीत की अनुलिपि प्रदर्श पी 35 तैयार की गई जिसमें उसकी व डॉ0 बी आर परिहार की आवाजों की पहचान उसके द्वारा की गई । घटना स्थल का एक नक्शा मौका प्रदर्श पी 36 बनाया गया तथा उपरोक्त कार्यवाही का एक मीमो प्रदर्श पी 37 तैयार किया गया जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी भाग में उसके हस्ताक्षर है। ट्रेप कार्यवाही व सत्यापन की कार्यवाही के दौरान प्रयुक्त मैमोरी कार्ड को उनकी कम्पनी पैक में डालकर अलग–अलग लिफाफे में डालकर सीलचेपा किया गया । एक माईक्रो एसडी कार्ड मार्क 'वी' जो सीबीआई द्वारा सत्यापन की कार्यवाही में प्रयोग किया गया, आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 को जिस छोटे लिफाफे में डालकर सीलचेपा किया गया था वह लिफाफा प्रदर्श पी 38 है। एक माईक्रो एसडी कार्ड मार्क 'एमसी–1' जो सीबीआई द्वारा रिश्वत राशि के लेन–देन के समय प्रयोग किया गया आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 को जिस छोटे लिफाफे में डालकर सीलचेपा किया गया था वह लिफाफा प्रदर्श पी 39 है। ट्रेप कार्यावाही के दौरान प्रयोग में ली गई सील को सीबीआई वालों ने अपने पास रख लिया था ।

53/ उपरोक्त बयानो के समर्थन में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह पी.ड. 9 नरेन्द्र कुमार चौहान एवं पी.ड. 10 रमेश चन्द्र सोतवाल ने अपने स्पष्ट कथन किये हैं कि मुलजिम बी.आर. परिहार के कब्जे से रिश्वत की राशि बरामद की गई थी । तथा टी.एल.ओ. पी.ड. 12 राजेन्द्र कुमार ने भी अपने बयानो में मुलजिम के विरूद्ध शिकायत मिलने पर शिकायत का सत्यापन कर ट्रेप की कार्यवाही किया जाना व मुलजिम से रिश्वत राशि बरामद करना कहा है तथा अभियोजन की ओर से यह तर्क दिया गया कि अभियोजन स्वीकृति विधिनुसार जारी

की गई है इस सम्बन्ध में गवाह पी.ड. 2 बी.मजूमदार ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह मार्च 2014 से फरवरी 2018 तक संयुक्त सचिव (स्थापना) द्वितीय के पद पर रेल भवन नई दिल्ली में पदस्थापित रहा। डॉ0 बी आर परिहार सीनियर डिविजनल मेडिकल ऑफिसर, रेल्वे हॉस्पिटल उत्तर–पश्चिम रेल्वे में तैनात था। डॉ0 बी आर परिहार के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा एफआईआर की कॉपी, अन्वेषण रिपोर्ट, प्री ट्रेप तथा पोस्ट ट्रेप मेमोरेण्डम तथा अन्य दस्तावेजात रेल्वे बोर्ड के विजिलेन्स निदेशालय को भेजे गये थे। उपरोक्त दस्तावेज का अध्ययन कर प्रस्ताव के साथ तत्कालीन रेल मंत्री को उपरोक्त दस्तावेज भिजवाये थे। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने रेल मंत्री को अधिकृत किया हुआ है, इसलिए रेलमंत्री द्वारा उपरोक्त दस्तावेज का अध्ययन करने के पश्चात् डॉ0 बी आर परिहार के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की थी । तत्पश्चात् उपरोक्त दस्तावेज मय फाईल उसे प्राप्त हुए। रेलमंत्री की स्वीकृति, सीबीआई की रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजात का अध्ययन करने के पश्चात् उसने अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदर्श पी 6 बनवाया तथा उसने प्रत्येक पेज पर ए से बी हस्ताक्षर किये । अन्वेषण अधिकारी पी.ड. 13 भवरेन्द्र चौधरी ने अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर बाद अन्वेषण अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत करना कथन किया हैं ।

54/ उपरोक्त तर्को के विरोध में वकील अभियुक्त ने यह तर्क दिया है कि मुलजिम द्वारा कोई रिश्वत राशि की मॉग नही की गई एवं परिवादी द्वारा जो कथन किया गया है वह बिल्कुल निराधार है क्योंकि सत्यापन रिपोर्ट प्रदर्श पी–31 में अभियुक्त द्वारा रूपयो की कोई मांग नही की गई हैं । इस बाबत स्वयं परिवादी पी.ड. 8 रवि गुर्जर ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है एवं कथन किया है कि यह

सही है कि डाक्टर परिहार ने उसकी ऑखे चैक की थी । डाक्टर परिहार ने उसे बोला था कि उसकी ऑखे कमजोर है । उन्होने अपनी बुक में उसकी ऑखो का नम्बर लिखा होगा क्योंकि सबकी लिखते है। यह कहना गलत है कि डाक्टर परिहार ने उससे यह कहा हो कि वे उसकी ऑखो को दो तीन दिन तक चैक करने के बाद प्रमाण पत्र देगें। यह सही है कि आर्टिकल–1 प्रदर्श पी–3 में ए से बी, सी से डी व ई से एफ उसकी ऑखो के सम्बन्ध में इन्द्राज हैं । यह बात सही है कि प्रदर्श पी–30 में दिनॉक 8.2.17 के पश्चात डाक्टर परिहार द्वारा उसकी ऑखो का परीक्षण करना अंकित नही हैं । यह कहना गलत है कि डाक्टर परिहार ने दिनॉक 8.2.17 को उसकी ऑखे चैककर उसे यह कहा हो कि आज आपकी ऑखो का वीजन सही नही आ रहा है, उसके अनुभव से वह लगातार दो तीन दिन तक चैक करूगॉ ताकि सही नतीजा आये उसके बाद ही मै आपको प्रमाण पत्र दुगॉ। यह कहना गलत है कि वह दिनॉक 13.2.17 को साजिश रचकर डाक्टर परिहार से मिला हो । यह कहना गलत है कि 13.2.17 को वह जब डाक्टर परिहार से मिला तो उन्होने उसे यह कहा हो कि 8 तारीख के बाद तू उसे आज मिलने आया है जबकि उसने तुझे 9 व 10 तारीख को भी बुलाया था। यह कहना गलत है कि उस वक्त उसने डाक्टर परिहार को यह कहा हो कि उसके परेशानी आ गई है, उसके नजदीकी रिश्तेदार गॉव से आये हुए है और उनकी ऑखो में लेन्स लगवाना है और प्राईवेट अस्पताल वाले 30–35 हजार मॉग रहे है जो उसके रिश्तेदार नही दे सकते क्योकि वो फाईनेन्शियली कमजोर हैं। यह कहना गलत है कि उस वक्त उसने डाक्टर परिहार को यह कहा हो कि उसे यह पता लगा है कि आपके मित्र ऑखो का डाक्टर है जो आपके कहने से सस्ते में लगभग 10 हजार तक ऑखो का लेन्स लगा देगें और आपने पहले भी एक दो के लगवाये हैं । यह

कहना गलत है कि उस वक्त डाक्टर परिहार ने यह कहा हो कि उसे वाकई कोई आदमी सही व गरीब तथा जरूरतमन्द होता है तो उसके लिए वह अपने मित्र जो ऑखो के डाक्टर है, के पास भेज देता है तो उसके कहने पर 10 हजार रूपये में ऑखो का लेन्स लगा देगा । यह कहना गलत है कि उस वक्त उसने डाक्टर परिहार को बहुत हाथाजोडी की कि उसके रिश्तेदार बहुत गरीब है तथा उसके रिश्तेदार के भी अपने मित्र डाक्टर को कहकर 10 हजार रूपये में लेन्स लगवा दिजिये । यह कहना गलत है कि उस वक्त डाक्टर परिहार ने यह कहा हो कि तू अपने रिश्तेदार को उसके पास ले आना, उसे तसल्ली हो जायेगी कि आदमी सही है तो वह अपने दोस्त को जो ऑखो का डाक्टर है, को कहकर 10 हजार रूपये में ऑखो का लेन्स लगवा देगा और उस डाक्टर को कह दुगॉ कि इनसे 10 हजार रूपये ही लेना लेन्स के लिये । यह कहना गलत है कि उस वक्त उसने यह कहा हो कि वे अगर प्राईवेट अस्पताल में सीधा पैसा देगें तो वो ज्यादा ले लेगें तो मै पैसे आपको दुगॉ और आप डाक्टर साहब को दे देना और इनसे कह देना कि इनके लेन्स लगा दो, पैसे आ गये हैं । यह कहना गलत है कि उसने डाक्टर को यह कहा हो कि पैसो का इन्तजाम उसे ही करना है। यह कहना गलत है कि डाक्टर परिहार ने उसकी बात पर विश्वास कर कि किसी गरीब की मदद करनी है, इस उदेश्य से डाक्टर ने हॉ कर दी हो। यह कहना गलत है कि जब उसे यह तसल्ली हो गई कि डाक्टर परिहार ऑखो का लेन्स लगवाने के लिये और दूसरे डाक्टर को 10 हजार रूपये देने के लिए उसके द्वारा दिये गये 10 हजार रूपये लेकर उसे दे देगें तो वह सोची समझी साजिश के तहत सीबीआई जाकर झूठी रिपोर्ट दी हो । यह सही है कि सीबीआई कार्यालय में रिपोर्ट देने व सीबीआई कार्यालय में कार्यवाही होने के पश्चात तथा सीबीआई कार्यालय से बाहर आने के बाद डाक्टर

के पास रूपये देने गया था । यह सही है कि प्रदर्श पी–31 में डाक्टर द्वारा 10 हजार रूपये मांगने की बात नही लिखी है । यह सही है कि प्रदर्श पी–31 में उसके द्वारा ऑखो को चैक करवाने तथा प्रमाण पत्र देने की बात नही लिखी है । यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–31 में उसके द्वारा दिनॉक 13.2.17 को लेन्स लगवाने वाली बात के सम्बन्ध में वार्ता हुई हो । यह सही है कि प्रदर्श पी–31 पर इस बात का कोई इन्द्राज नही है कि यह वार्ता किसने बनाई, किसके सामने बनाई, आवाजो की पहचान किसने की, कितने बजे बनाई, नमूना सील क्यो लगाया, साईन क्यो किये, गवाहो व परिवादी के समक्ष लिखी गई तथा गवाहो ने सुन समझकर अपने हस्ताक्षर किये हो, लिखा हुआ नही हैं । यह सही है कि प्रदर्श पी–31 में वार्ता हूबहू नही है। यह कहना गलत है कि ट्रेप कार्यवाही के दौरान उसके व डाक्टर परिहार के बीच हुई वार्ता उसके रिश्तेदार को डाक्टर परिहार के मित्र ऑखो के डाक्टर को लेन्स लगवाने के सम्बन्ध में पैसे दिये जाने से सम्बन्धित की हो । यह कहना गलत है कि उसने डाक्टर परिहार को अपने रिश्तेदार के लेन्स लगवाने के एवज में अन्य डाक्टर को देने के लिये पैसे दिये हो । यह सही है कि उसने उस वक्त डाक्टर परिहार को यह कहा था कि इस वक्त उसके पास केवल 8000/– रूपये है। यह सही है कि जब उसने डाक्टर परिहार के मांगने पर रूपये दिये तब उन्हे कहा था कि 2000/– रूपये सुबह दे दुगॉ । यह सही है कि डाक्टर परिहार ने यह कहा था कि ले आना, उसको अभी फोन कर देता है, वो दस बजे फिट करके नक्की कर देगा । यह सही है कि ट्रेप कार्यवाही के दौरान डाक्टर परिहार से हुई वार्तालाप में डाक्टर परिहार ने कहा था कि उसके पास से भेज दुगॉ। यह सही है कि डाक्टर परिहार से उसकी वार्तालाप के दौरान अन्य डाक्टर द्वारा लेन्स लगवाने के सम्बन्ध में बात हुई थी । यह कहना गलत है कि उसकी डाक्टर

परिहार से उसके अन्य रिश्तेदार के लेन्स लगवाने के सम्बन्ध में ही वार्ता हुई हो । यह सही है कि प्रदर्श पी–35 पर इस बात का कोई इन्द्राज नही है कि यह वार्ता किसने बनाई, किसके सामने बनाई, आवाजो की पहचान किसने की, कितने बजे बनाई, नमूना सील क्यो लगाया, साईन क्यो किये, गवाहो व परिवादी के समक्ष लिखी गई तथा गवाहो ने सुन समझकर अपने हस्ताक्षर किये हो, लिखा हुआ नही हैं । यह कहना गलत है कि सीबीआई द्वारा डाक्टर परिहार को पकडे जाने पर डाक्टर परिहार ने यह कहा हो कि न तो उसने रिश्वत के रूपये मॉगे है, न रिश्वत के रूपये लिए है, व दिनॉक 13.2.17 को परिवादी व डाक्टर परिहार के मध्य हुई वार्ता को भी पूर्ण रूप से बताया हो । यह कहना गलत है कि डाक्टर परिहार ने उस समय यह कहा हो कि उससे जो रूपये बरामद हुए है वे रिश्वत के रूपये नही है तथा परिवादी द्वारा उसके ऑखो के मित्र डाक्टर से परिवादी के रिश्तेदार के ऑखो के लेन्स लगवाने के लिए मित्र डाक्टर को देने के लिये दिये हो । यह कहना सही है कि डाक्टर परिहार ने पकडे जाने पर यह कहा था कि उसे झूठा फंसाया जा रहा हैं। यह कहना गलत है कि डाक्टर परिहार ने मौके पर यह नही कहा हो कि उनसे गलती हो गई है तथा भविष्य में ऐसी गलती नही करेगें । यह कहना गलत है कि डाक्टर परिहार ने उसके द्वारा यह कहने पर कि उसके पास 8,000/– रूपये ही है तो उन्होने कहा कि 2,000/– रूपये वो अपने पास से दे दुगॉ, यह बात लेन्स के सम्बन्ध में हुई हो । यह कहना गलत है कि डाक्टर परिहार ने उसे फिटनेश सर्टिफिकेट देने के सम्बन्ध में नही कहा हो । यह सही है कि मेमोरी कार्ड को लिफाफे में डालकर उसके हस्ताक्षर कराये थे । यह कहना गलत है कि डाक्टर परिहार को उसने साजिश के तहत विश्वास में लेकर कि उसे उनके मित्र डाक्टर से अपने रिश्तेदार के लेन्स लगवाने है और रूपये डाक्टर

परिहार के माध्यम से उस डाक्टर को लेन्स के लिए देने है, इस प्रकार वह आश्वस्त हो गया कि डाक्टर उसके द्वारा 10 हजार रूपये लेन्स के लिए अन्य डाक्टर को देने के लिए ले लेगा तो उसने सीबीआई में झूठी रिपोर्ट देकर उसे झूठा फंसा कर उसने झूठे बयान दिये हो।

55/ इस प्रकार उपरोक्त गवाह के कथनो से व अनुलिपि प्रदर्श पी–31 में विरोधाभाषी कथन हैं । जबकि वास्तविकता यह थी कि परिवादी के किसी रिश्तेदार के आंखो के लेन्स लगवाने थे जिस बाबत लेनदेन किया गया था । जो प्रदर्श पी–31 से साबित हैं तथा अभियोजन पक्ष की ओर से जो अनुलिपियां बनाई गई वह भी विरोधाभाषी है तथा स्वयं परिवादी ने स्वीकार किया है कि अनुलिपि प्रदर्श पी–31 में रूपयो की मॉग नही है तथा परिवादी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर मुलजिम को झूठा फंसाने के लिए कार्यवाही की गई है तथा अन्य गवाहो के कथनो में भी भारी विरोधाभाष है तथा गवाह पी.ड. 9 नरेन्द्र कुमार व पी.ड. 10 रमेश चन्द्र ने सीबीआई के दबाव में आकर मुलजिम के विरूद्ध झूठे बयान दिये हैं । टीएलओ द्वारा जो अनुलिपियां तैयार की गई है वह भी कब कहॉ और किसके द्वारा तैयार की गई है, उसका भी उल्लेख नही हैं जिससे भी अभियोजन पक्ष के कथनो में सन्देह उत्पन्न होता हैं तथा अन्वेषण अधिकारी द्वारा सही अन्वेषण नही कर गलत तथ्यों के आधार पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया है क्योंकि अनुलिपि प्रदर्श पी–31 व पी–35 में स्पष्ट रूप से रिश्वत की राशि नही मॉगी गई थी । इस प्रकार जब मुलजिम द्वारा रिश्वत राशि की मॉग ही नही की गई तथा अभियोजन स्वीकृति के सम्बन्ध में अभियुक्त के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि जो अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है वह बिना मष्तिष्क के प्रयोग किये जारी की गई है जो कि विधिनुसार वैध नही हैं । पी.ड. 2 बी. मजुमदार ने अपनी जिरह में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि वह

अभियुक्त को पदच्यूत करने एवं अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु सक्षम नही हैं, इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध कोई अपराध नही बनता है ।

56/ प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी.ड. 8 ने अपने मुख्य परीक्षण में अपनी आंखो का चिकित्सीय परीक्षण अभियुक्त डा. बी.आर.परिहार से करवाने का कथन किया है एवं उस बाबत अभियुक्त द्वारा 10,000/— रूपये की मॉग करने का कथन किया है तथा परिवादी द्वारा अभियुक्त को वक्त ट्रेप 8,000/— रूपये देने का बयान दिया हैं । जो 8,000/— रूपये अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुए हैं । वकील मुलजिम का उक्त तर्क के विरोध में यही कथन किया है कि उक्त रूपये उसके किसी रिश्तेदार के आंखो के लेन्स किसी अन्य डाक्टर से लगवाने हेतु स्वयं परिवादी ने दिये थे । तथा मुलजिम की ओर से अपने बचाव में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से साबित नही किया है कि कौनसा रिश्तेदार था तथा रिश्तेदार के लेन्स लगवाने के तथ्य को साक्ष्य से साबित नही किया हैं । जब अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त से रिश्वत राशि बरामद करने का कथन साबित किया है तो उसको नासाबित करने का भार अभियुक्त पर होता हैं । उक्त तर्क के खण्डन में वकील मुलजिम ने कोई साक्ष्य पेश नही की हैं तथा मौखिक रूप से गवाहो के कथनो में विरोधाभाषी होने का कथन किया है जो मानने योग्य नही है । परिवादी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि उसने सामयिक चिकित्सीय परीक्षण हेतु डा. बी.आर.परिहार से सम्पर्क किया था एवं उसे अपनी आंखो का चिकित्सीय परीक्षण करवाना था तथा परिवादी का मुलजिम के पास उसके चिकित्सीय परीक्षण का कार्य लम्बित था, अभियुक्त के कब्जे से 8,000/— रूपये रिश्वत राशि की बरामदगी भी हुई है ।

57/ अभियोजन स्वीकृति के सम्बन्ध में यह तथ्य स्पष्टतः साबित

है कि गवाह तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त – उच्चतम न्यायालय क्रिमिनल अपील संख्या 18/1955 इन्दु भुषण चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य निर्णय दिनॉक 26.11.1957 का मैने आदर पूर्वक अवलोकन किया जिससे मैं सादर सहमत हूं । इस प्रकार वकील मुलजिम का उक्त तर्क मानने योग्य नही हैं कि अभियोजन स्वीकृति बिना मष्तिष्क के प्रयोग किये जारी कर दी गई हैं । इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने सन्देह से परे प्रमाणित कर दिया हैं कि अभियुक्त डा. बी.आर.परिहार ने दिनॉक 8.2.2017 को सीनियर डिवीजनल मेडिकल आफिसर, रेलवे अस्पताल, जोधपुर के लोक सेवक के पद पर रहते हुए अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर परिवादी रवि गुर्जर से जिसका कि सामयिक चिकित्सीय परीक्षण रेलवे अस्पताल जोधपुर में चल रहा था, को चिकित्सीय आधार पर आरोग्य घोषित करने के लिये दिनॉक 13.2.2017 को 10,000/– रूपये रिश्वत की मॉग की तथा दिनॉक 14.2.2017 को परिवादी रवि गुर्जर से 8,000/– मॉगकर प्राप्त कर आपराधिक दुराचरण किया हैं ।

58/ अतः उपरोक्त साक्षियों के विवेचन के आधार पर अभियुक्त बी.आर.परिहार के विरूद्ध धारा 7 व सपठित धारा 13 (2) सपठित धारा 13 (1) (डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अपराध सन्देह से परे प्रमाणित होने से अभियुक्त को उक्त अपराधो में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित हैं ।

आदेश

59/ परिणामतः अभियुक्त बी.आर.परिहार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 धारा 7 व 13 (2) सपठित धारा 13 (1) (डी) के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता हैं। अभियुक्त के नियमित

हाजरी बाबत मुचलके निरस्त किये जाते है।

(पुरण कुमार शर्मा)
विशिष्ट न्यायाधीश, सी.बी.आई.
जोधपुर

60/ सजा के बिन्दु पर अभियुक्त व लोक अभियोजक को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से तर्क दिया कि अभियुक्त लम्बे समय से अन्वीक्षा भुगत रहा है एवं परिवार में अकेले कमाने वाला व्यक्ति हैं । अभियुक्त का यह प्रथम अपराध हैं। अतः अभियुक्त के विरूद्ध नरमी का रूख रखते हुए परीविक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया ।

61/ विद्वान लोक अभियोजक ने अभियुक्त की ओर से दिये गये तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त के विरूद्व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के गंभीर अपराध का आरोप साबित हुए हैं, अपराध की गंभीरता देखते हुए ऐसे अपराधियों के प्रति नरमी का रूख अखत्यार किया जाना किसी भी स्थिति में न्यायसंगत नही है एवं आरोपी को अधिकतम दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया।

62/ उभय पक्षकारान के तर्कों को सुना गया एवं उस पर मनन किया गया। वर्तमान समय में भ्रष्टाचार के प्रकरणों में दिनों दिन वृद्धि हो रही है तथा अभियुक्त के विरूद्ध साबित हुए अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त के विरूद्ध नरम रूख अपनाया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है, इसलिए न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्त को निम्न प्रकार दण्डित करना न्यायोचित समझता हूॅ :-

63/ अभियुक्त बी.आर.परिहार को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अपराध में 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

तथाा 20,000/— रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता हैं। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावें व धारा 13 (2) सपठित धारा 13 (1) (डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अपराध में 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 20,000/— रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता हैं। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावें।

64/ अभियुक्त बी.आर.परिहार की सभी मूल सजाये साथ—साथ चलेगी। अभियुक्त बी.आर.परिहार धारा 428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में बिताई अवधि को मूल सजा में मुजरा पाने का अधिकारी होगा।

65/ बाद गुजरने मयाद अपील/रिवीजन रिश्वत राशि 8,000/— परिवादी रवि गुर्जर को लौटाये जावें । जब्त शुदा दस्तावेज सम्बन्धित विभाग को लौटाने हेतु सीबीआई को दिये जाये तथा धोवन की शीशिया, मेमोरी कार्ड, लिफाफे, पेन्ट नियमानुसार नष्ट किये जावें ।

66/ अभियुक्त बी.आर.परिहार को इस निर्णय की प्रति अविलम्ब निःशुल्क दी जावें । सजा वारन्ट मुर्तिब हो ।

(पुरण कुमार शर्मा)
विशिष्ट न्यायाधीश, सी.बी.आई.
जोधपुर

67/ निर्णय आज दिनॉक 14.10.2019 को हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पुरण कुमार शर्मा)
विशिष्ट न्यायाधीश, सी.बी.आई.
जोधपुर